नव प्रदेश

www.navpradesh.com | रायपुर, गुरूवार 1 जुलाई 2021, शुक्ल पक्ष-ससमी, विक्रम संवत-2077 वर्ष-10 अंक-142 पृष्ठ-08 मूल्य-3 रुपए | रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की जीत सुनिश्चित है। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमारे देश में चल रहा है। अब तक तीस करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके लिए वे स्वास्थ्य कर्मचारी बधाई के पात्र है जो लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे है। अनेक स्थानों पर इन कोरोना योद्धाओं को लोगों के विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है और अपमान का कड़वा घूट भी पीना पड़ा रहा है। इसे बावजूद वे पूरे मनोयोग से अपने काम में जुटे हुए है। इन कोरोना योद्धाओं का अमूल्य योगदान नहीं भूलेगा हिन्दुस्तान।

भिलाई संयंत्र में नौ यूनियनों की हड़ताल से उत्पादन प्रभावित

भिलाई/नवप्रदेश। सार्वजनिक क्षेत्र के भिलाई इस्पात संयंत्र में वेज रिवीजन सहित तीन सूत्रीय मांगों को लेकर नौ यूनियनों के आज सुबह से हड़ताल पर चले जाने से उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है। संयंत्र की नौ यूनियन आज सुबह से ही हडताल पर है, हल्का फुल्का धक्का मुक्की के बीच यूनियन की हडताल शुरू हुई, विभिन्न गेटो पर यूनियन के लोग संयंत्र में जाने वालों का रास्ता बंद

कर रोकते नजर आये। सुबह चार बजे से ही यूनियन के प्रतिनिधि गेटवार जिम्मेदारी के तहत डट गए थे। यूनियनों ने शत प्रतिशत हडताल सफल होने का दावा किया है। संयंत्र मे हडताल के दौरान उत्पादन प्रभावित होने से रोकने के लिए प्रबन्धन ने पहले से तैयारी कर रखी थी जनरल शिफ्ट के कर्मचरियो को नाईट/प्रथम पाली मे ही बुला लिया था। प्रबन्धन ने हडताल ■ शेष पृष्ठ 6 पर

वेज रिवीजन पर एनजेसीएस में चर्चा है जारी

विदित हो कि श्रम संघ के वेज रिवीजन सहित अन्य मांगों पर एनजेसीएस में चर्चा जारी है। स्थानीय स्तर पर इन मुद्दों का हल संभव नहीं है। इन सभी केन्द्रीय मुद्दों का हल हड़ताल से नहीं बल्कि बातचीत से निकाला जा सकेगा। इस संदर्भ में दिल्ली कॉर्पोरेट ऑफिस में निरन्तर बैठकों का दौर जारी है।

संयंत्र ने कर्मवीरों का माना आभार

संयंत्र के अन्य विभागों में कार्मिकों की उपस्थिति प्रभावित होने के बावजूद उत्पादन गतिविधियों चालू रखने की कवायद जारी है। उत्पादन के साथ-साथ अनुरक्षण कार्यों को भी अंजाम दिया गया। संयंत्र प्रबंधन ने उपस्थित सभी कार्मिकों, अधिकारियों तथा ठेका श्रमिकों के प्रति सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया है।

खास-खबर

नदी में नहाने गए बच्चे गहरे पानी में डूबे, तीनों की मौत

बलरामपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक दुखद खबर प्रकाश में आईजिले के चनान नदी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की मौत हो गई। गोताखोर की टीम ने तीनों बच्चों का शव बरामद किया है। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र के नवाडीह गांव का मामला है।

बताया जा है कि तीनों बच्चे नवाडीह गांव नहाने के लिए नदी आज सुबह गए थे। वहीं नदी के तेज बहाव में तीनों बच्चे एक-एक कर बह गए। बताया जा रहा है कि एक दूसरे को बचाने के चक्कर में तीनों मासूम डूब गए। नदी में तीन बच्चों के डूबने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची गोताखोर की टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया। वहीं एक-एक कर तीनों की लाश बरामद किया। मौत की से गांव में मातम पसर गया।

सीए परीक्षा से ऑप्ट आउट का विकल्प देने का 'सुप्रीम' निर्देश

नई दिल्ली (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने उम्मीदवारों को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परीक्षा 2021 से बाहर निकलने (ऑप्ट आउट) का विकल्प देने का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) को निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने बुधवार को कहा कि आईसीएआई द्वारा मुहैया कराई गई योजना पर्याप्त नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सीए की आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार इससे हट सकते हैं, अगर वे या उनके परिवार का कोई सदस्य कोरोना महामारी से पीड़ित हुआ है। इससे पहले आईसीएआई ने एक शहर से दूसरे शहर में परीक्षा केंद्र बदले जाने पर ऑप्ट आउट ऑप्शन देने की बात कही थी। खंडपीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण हुए सेवानिवृत, अंतिम फैसला-

कोरोना से मौत पर मिले मुआवजा

नई दिल्ली/ए.। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण सेवानिवृत्त हो गए हैं। कोरोना से हुई मौत पर मुआवजे का आदेश उनका आखिरी फैसला है। बुधवार को उनका सुप्रीम कोर्ट में आखिरी कार्यदिवस रहा। वैसे वह 4 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन मां के निधन होने के कारण वह छुट्टी पर रहेंगे। जस्टिस भूषण ऐतिहासिक अयोध्या फैसले का हिस्सा भी रहे थे। उन्होंने कोविड काल में जस्टिस एमआर शाह के साथ कोविड पर दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई की।

उन्होंने 2020 में और फिर मंगलवार को प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला सुनाया। कोविड के चलते लोन मोरेटोरियम और अस्पतालों में कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज और शवों के अंतिम संस्कार के मुद्दों पर सुनवाई कर आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट में आज विदाई के दौरान छ्छ्छ्ढ एनवी रमना ने कहा- जस्टिस भूषण के फैसले उनके कल्याणकारी और मानवतावादी दृष्टिकोण के सबूत हैं। वहीं जस्टिस भूषण ने कहा कि न्यायपालिका से जुड़ने के कारण वो गर्व महसूस ■ शेष पृष्ठ 6 पर

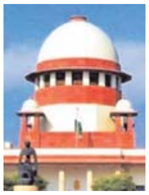

राहुल ने कोरोना मृतक परिजनों को राहत देने पर न्यायालय के आदेश का किया स्वागत

नई दिल्ली (वार्ता)। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को राहत देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार को एक सही राशि तय कर पीड़ित परिजनों को राहत देनी चाहिए। श्री गांधी ने बुधवार को ट्वीट किया, उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार को ग़लती सुधारने का मौक़ा दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवज़े की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण क़दम है। इसके साथ ही उन्होंने एक खबर ■ शेष पृष्ठ 6 पर

इंकार नहीं किया जा सकता : सुको

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है तो इससे सरकार को आर्थिक दिक्कत हो सकती है। ये प्राधिकरण पर है कि वो इसके लिए मुआवजा तय करे। स्ष्ट ने कहा कि एनडीएमए छह हफ्ते के भीतर गाइडलाइन तैयार करेगा। कोविड पीड़ितों के मृत्यु प्रमाण पत्र पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत और मृत्यु का कारण होगा। परिवार के संतुष्ट न होने पर मृत्यु के कारण को ठीक करने के लिए तंत्र भी होना चाहिए।

कैबिनेट ने भारतनेट प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को दी मंजूरी

16 राज्यों के गांवों में पहुंचेगा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क

■ **कैबिनेट की बैठक पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई**

नई दिल्ली/ए.। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से भारतनेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। इसके तहत भारतनेट के ज़रिये अब इन 16 राज्यों के सभी गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की सुविधा पहुंचाई जाएगी। योजना के लिए अनुमानित 19,041 करोड़ की व्यहार्यता अंतर वित्तपोषण को मंज़ूरी दी गयी है। इस योजना के तहत चुने हुए 16 राज्य हैं-केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों सहित करीब 3।61 लाख गांवों को कवर किया जाएगा। इसके साथ ही, कैबिनेट ने शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी बसे हुए गांवों तक भारतनेट के विस्तार को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।इसके साथ ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट ने पॉवर सेक्टर के लिए एक सुधार-आधारित और परिणाम-लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को भी मंजूरी दी है। नई योजना का उद्देश्य निजी क्षेत्र के DISCOMs ■ शेष पृष्ठ 6 पर

गुड न्यूज! बच्चों पर नहीं होगा तीसरी लहर का कहर : मिनिस्ट्री

नई दिल्ली/ए.। बच्चों में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर भय की स्थिति बनी हुई है खासकर कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर। लेकिन बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि ज्यादातर बच्चे असिम्टोमैपिट होते हैं और कभी-कभार ही उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरुरत पड़ती है। कोरोना की दूसरी लहर पहली की अपेक्षा ज्यादा घातक साबित हुई है। इस लहर के दौरान कोरोना पॉजिटिव बच्चों की संख्या भी अधिक देखी गई। इस वायरस का बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से जुड़े कई सवाल मीडिया में उठाए गए हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफसे कहा गया है कि कोरोना की लहर बच्चों को ज्यादा प्रभावित नहीं करती है। जिन बच्चों को कोरोना होता है वो ज्यादातर असिमटोमैटिक होते हैं यानी उनमें इस संक्रमण के लक्षण बेहद ही कम होते हैं। मंत्रालय की तरफ से दी गई ■ शेष पृष्ठ 6 पर

कई जिलों के एसपी बदले प्रशांत कुमार दुर्ग, बिलासपुर पहुंचे दीपक कुमार झा

पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य के गृह (पुलिस) विभाग ने आज एक आदेश जारी कर भारतीय पुलिस सेवा और राज्य पुलिस अधिकारियों का थोक में तबादला किया है। जारी आदेश में 40 अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है, जिनमें पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी भी शामिल है। विनीत खन्ना उप पुलिस महानिरीक्षक को कांकेर से उपपुलिस महानिरीक्षक नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा रायपुर, टी.एक्का सेनानी दूसरी वाहिनी छसबल सकरी बिलासपुर को उपपुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर, बालाजी राव सोमावार पुलिस अधीक्षक जशपुर को उपपुलिस महानिरीक्षक कांकेर, दीपक कुमार झा पुलिस अधीक्षक बस्तर को पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, जीतेन्द्र सिंह मीणा पुलिस ■ शेष पृष्ठ 6 पर

सुरक्षा | जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हमले के बाद सतर्क हुई सरकार और सेना

सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम करेगा तैनात

■ **जम्मू एयरबेस पर हमले के बाद सतर्कता**

नई दिल्ली/ए.। भारत ने अपने अहम सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने का फ़ैसला किया है। भारत ड्रोन के ख़तरे से निपटने के लिए जल्द ही एक नीति लेकर भी आने वाला है क्योंकि जम्मू एयरबेस पर हुए हमले ने साबित कर दिया है कि भारत के अहम सैन्य ठिकानों पर कितना ख़तरा है। जम्मू-कश्मीर में बीते तीन दिनों में तीन बार ड्रोन देखे गए हैं। माना जा रहा है की ये सभी सीमा पार से नियंत्रित किए जा रहे थे। लिहाजा सभी सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट है। केंद्र सरकार ने सभी अहम ठिकानों को तकनीक की मदद से सुरक्षित किए जाने के निर्देश दिए हैं।केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम, जिसमें एनएसजी और सीआईएसएफ के अफ़सर शामिल हैं। उन्होंने जम्मू हवाई अड्डे का निरीक्षण कर वहां काउंटर ड्रोन सिस्टम लगाने का फ़ैसला किया गया है। सेना को भी हरी झंडी दे दी गई है कि वो आर्टीफीशियल इंटेलीजेंस तकनीक से लैस ड्रोन का इस्तेमाल करें।लेफ्टिनेट जनरल डीपी पांडे ने कहा कि सेना इस तरह के हथियारों और ड्रोन और उनसे जुड़ी अत्याधुनिक तकनीकों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफहै और आने वाले समय में ऐसे हमलों का खतरा और बढ़ सकता है। खतरों को लेकर आगे की रणनीति पर विचार कर रही हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष चुनौती खड़े करने वाले किसी भी मुद्दे के उभरने के पहले ही उन्हें खत्म करने के समाधान तलाश रही हैं। वैसे ड्रोन के ■ शेष पृष्ठ 6 पर

नव प्रदेश

दुर्ग-भिलाई

रायपुर, गुरुवार 1 जुलाई 2021

न्यूज गैलरी

भिलाई में आज की हड़ताल ऐतिहासिक

भिलाई। सम्मानजनक वेतन समझौता के लिए आयोजित सेल व्यापी हड़ताल का आज भिलाई इस्पात संयंत्र की प्रथम एवं सामान्य पाली में जबरदस्त असर देखने को मिला। संयंत्र एवं टाउनशिप में कार्य करने वाले कर्मी स्वयं से ही हड़ताल में भागीदारी करने की सोच बनाकर हड़ताल में उतरे। यूनिवर्सल रेल मिल, बार राड मिल, रेल मिल, मर्चेंट मिल, पीबीसी डब्ल्यूएमडी इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकॉम एसएमएस-3 ब्लास्ट फर्नेस, प्लांट 8 गैरेज मशीन शॉप, रोल टर्निंग शॉप व टाउनशिप जैसे विभागों में कर्मी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। कई विभागों के अनुभागों में तो शत.प्रतिशत अनुपस्थिति दर्ज हुई है। इस बार शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों ने भी हड़ताल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। दोपहर 2 बजे के बाद से प्लांट से जो निकल रहा है उसे लोग ताली बजाकर उसका स्वागत कर रहे हैं और उसे प्लांट वापिस भेज दे रहे हैं उसे टाउनशिप में घुसने नहीं दे रहे हैं।

स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था देखने पहुंचे निगम आयुक्त

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। निगम के क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को लेकर निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने आज खुर्सीपार क्षेत्र में विभिन्न घरों में पहुंचकर पानी की जांच किए। वार्ड 30 बालॉजी नगर में नलों में पानी का प्रेशर कम होने की जानकारी मिलने पर उपस्थित इंजीनियर को पाइपलाइन का निरीक्षण कर समस्या का निराकरण करने निर्देशित किए। बरसाती सीजन जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए निगम द्वारा बांटे जा रहे क्लोरिन टैबलेट की जानकारी भी लिए। निगम प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे डेंगू नियंत्रण अभियान का निरीक्षण करने वार्ड 34 के तीन स्ट्रीट में कूलर, टायर, टंकी व पुराने पात्रों में भरे हुए पानी की जांच करवाए और टेमिफॉस वितरण तथा छिड़काव की जानकारी लिए। निगम क्षेत्र के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निगम प्रशासन का अमला जुटा हुआ है। प्रतिदिन पानी टंकियों के अंतिम छोर के तीन स्थानों से पानी का सेंपल लेकर निरंतर पानी शुद्धता की जांच की जा रही है। आयुक्त रघुवंशी मॉर्निंग विजिट के दौरान खुर्सीपार के अलग अलग वार्डों का भ्रमण करते हुए विभिन्न घरों में नलों से आने वाले पानी के सेम्पल की जांच किए जहां इस दौरान लोगों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व पानी थोड़ा मटमैला आ रहा था, लेकिन अब ठीक हो गया है। निगम द्वारा दिए गए टेमिफॉस की बॉटल और क्लोरिन टैबलेट की जानकारी भी वार्ड के नागरिकों से लेते हुए कहा कि आसपास स्वच्छता बनाए रखे परेशानी होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में परीक्षण कराए।

भाजयुमो ने फूका गृहमंत्री का पुतला

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, कृषि मंत्री, सिंचाई मंत्री एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आयोग अध्यक्ष निवासरत ऐसे जिले में पिछले कुछ दिनों के भीतर दो युवकों के नृशंस हत्या कर दी गई। इससे सीधे तौर पर झलकता है कि पुलिस का खौफ अपराधिक तत्वों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहा ऐसे मामलों को लेकर जिला भाजयुमो के द्वारा गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन भाजयुमो जिलाध्यक्ष नितेश साहू के नेतृत्व में इंदिरा मार्केट चौक पर किया गया। इस दौरान जिला महामंत्री ललित चंद्राकर, जिला उपाध्यक्ष कांतिलाल जैन, जिला मंत्री दिनेश देवांगन व मनोज मिश्रा, मीडिया प्रभारी केएस चौहान, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, मंडल अध्यक्ष लुकेश बघेल व दीपक चोपड़ा, मंडल महामंत्री तेखन सिन्हा, बंटी चौहान, संतोष कोसरे भाजयुमों से नितेश बाफना, गौरव शर्मा, वरुण जोशी, सोनू राजपूत, रिंकु पाण्डेय, बंटी देशमुख, दीपक सिन्हा, नीलेश अग्रवाल, पार्षद नरेश तेजवानी, ओमप्रकाश सेन, द्वारिका साहू, योगेश साहू, चंद्रकांत साहू, पीयूष मालवीय, राहुल पाटिल, अनुपम मिश्रा, विपिन चावड़ा, लाकेश्वर साहू, राहुल भट्ट, नारायण दत्त तिवारी उपस्थित थे।

खाद के साथ केचुआ उत्पादन व गौठान तक की देखी व्यवस्था

कचरा कलेक्शन की व्यवस्था का आयुक्त ने लिया जायजा

नवप्रदेश संवाददाता

रिसाली। शहर को स्वच्छ बनाने शुरू किए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था का निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने जायजा लिया। बुधवार सुबह आयुक्त सीधे तालपुरी पहुंचे। उन्होंने नागरिकों से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। दरअसल नागरिकों के घरों से निकलने वाले कचरा को सफाई मित्र के गाड़ी में डाल रहे थे लेकिन गीला व सूखा कचरा संयुक्त रूप से एकत्रित कर रहे थे। इसे देख आयुक्त ने नागरिकों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि वे गीला व सूखा कचरा अलग.अलग दे। स्वच्छता मित्र को निर्देश दिया गया कि कचरा अलग.अलग रखने हर व्यक्ति को जानकारी दे। इस दौरान आयुक्त तालपुरी समेत आस.पास के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों से मुलाकात कर समस्याओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही नलों से साफ पानी आने अथवा नहीं आने संबंधी पूछताछ की। इस दौरान किसी भी क्षेत्र में गंदा पानी आने की शिकायत नहीं मिली। आयुक्त सर्वे व नोडल अधिकारी रमाकांत साहू नेवई गोठान पहुंचे। रोका छेका योजना के बारे में महिला स्वसहायता समूह के बारे में जानकारी दी। इस दौरान वर्मी खाद का अवलोकन भी किया। खाद बनाने उपयोग में लाए जाने वाले केचुआ को देख आयुक्त ने कहा कि महिलाएं केचुआ उत्पादन की तरफ भी ध्यान दे। वे केचुआ से मुनाफा भी ले सकती है। खाद बनाना और केचुआ उत्पादन भी एक साथ कर सकते है।

पौधारोपण अभियान

भिलाई। सशस्त्र सीमा बल अंतर्गत आने वाली 28वीं वाहिनी अंतागढ़ के कार्यक्षेत्र पतकालबेड़ा और तुमापाल गाँव में विशेष पौधारोपण अभियान चलाया। एसएसबी व्दारा समवाय तुमापाल के कार्यक्षेत्र मे आने वाले गाँव पतकालबेड़ा और तुमापाल में ग्रामीणो के साथ मिलकर पौधा तुंहर द्वार के तहत हर घर में पाँच.पाँच काजू पौधो का वितरण कर हर घर जाकर रोपण कियाग्र इस पहल से उत्साहित तुमापाल गॉव और पतकालबेड़ा गॉव के लोग अपनी खुशी को छुपा नहीं पाये और अपने गॉव के छोटी-मोटी समस्याओं को भी सुधीर कुमार उप.महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय विशेष प्रचालन सशस्त्र सीमा बल भिलाई के समक्ष रखा।

लायंस पदाधिकारियों ने ली शपथ

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। मानवता शाला बोरसी में लायंस का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। जिसमें मुख्य अतिथि रीजन चेयरपर्सन डॉ रुचि सक्सेना, मुख्य वक्ता डॉ प्रदीप जैन पूर्व प्रेसिडेंट जेसीआई बालोद व शपथ अधिकारी लायन विभा भूटानी पूर्व डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सचिव की उपस्थिति में संपन्न हुआ। डिस्ट्रिक्ट स्लोगन खुशी लाने की शक्ति के साथ अध्यक्ष पद के लिए लायन स्नेह लता साहू, प्रथम उपाध्यक्ष लायन शशी प्रभा गुप्ता, द्वितीय उपाध्यक्ष लायन रत्नमाला पालिया, तृतीय उपाध्यक्ष लायन कीर्ति बलाल, सचिव लायन सुमन पांडे, सहसचिव लायन भाग्यश्री मोडक, कोषाध्यक्ष लायन विजया देवी सुराणा, कोषाध्यक्ष लायन मीरा अग्रवाल, लायन श्रीकांत मोडक, ट्रेसर शंकरलाल अग्रवाल, पीआरओ राजेंद्र अग्रवाल, ग्रीटर विशाल राजहंस, एडमिनिस्ट्रेशन विनोद परमार, सदस्यता विस्तार चेयरपर्सन, पीबी सक्सेना, क्लब मार्केटिंग चेयर पर्सन हरमीत सिंह भाटिया, एलसीआईएफ कोऑर्डिनेटर लायन विजय गुप्ता, क्लब सर्विस चेयर पर्सन अमर सिंह गुप्ता, परमानेंट प्रोजेक्ट चेयर पर्सन लायन एम जे एफबृजमोहन खंडेलवाल, क्लब डायरेक्टर पीएमजेएफ सतीश सुराणा, क्लब डायरेक्टर एसपी दुलाई ने शपथ ली।

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो. नसरुद्दीन पिता मो. सरफुद्दीन निवासी ग्राम केलाबाड़ी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 687/549 रकबा 0.0140 हे. भूमि को विक्रेता सैय्यद दिलशाद अली पिता मरहम सैय्यद नवाब अली निवासी ग्राम कसारीडीह दुर्ग से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 24.03.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 09.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.06.2021 ह्यको यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक डॉ. मोतीलाल टावरी पिता गंगाकिसन टावरी निवासी ग्राम बेमेतरा तहसील व जिला बेमेतरा के द्वारा ग्राम पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 212/19 रकबा 0.0230 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 14.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-74/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रमेश पिता गंगाकिसन टावरी निवासी ग्राम बेमेतरा तहसील व जिला बेमेतरा के द्वारा ग्राम पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 212/10 रकबा 0.0230 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैकों द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 14.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हेमंत कुमार साहू पिता धनीराम साहू निवासी ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 52/66 रकबा 0.019 हे. भूमि को दानदाता धनीराम साहू पिता स्व. कार्तिकराम साहू निवासी ग्राम बोरसी दुर्ग से रजिस्टर्ड दानपत्र दिनांक 29.05.2021 को दान में प्राप्त किया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर स्वयं के नाम पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 06.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202106100700274

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती पूजा मोगरी पिता/पति स्व. दिनेश कुमार मोगरी निवासी ग्राम आर्यनगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1314/78 रकबा 0.011 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार दिनेश कुमार मोगरी आ. द्वारिका दास की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक आकाश बडकुल पिता आकाश कुमार बडकुल निवासी ग्राम पद्मनाभपुर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम पोटियाकला स्थित भूमि खसरा नंबर 142/38, 142/39 एवं ग्राम बोरसी ख.न. 41/38 रकबा 0.016, 0.032 हे. एवं 4440 वर्गफीट भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदिक भूमि के खातेदार/ वसीयतकर्ता रतनचंद बडकुल आ. स्व. बंशीलाल बडकुल के द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 17.02.2016 पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित किया गया है। वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने पर पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 09.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 17.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक रोहित कुमार आ. पी.आर. वर्मा साकिन से-4 भिलाई के द्वारा ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 948/5 रकबा 0.0210 हे. भूमि मंजू चंद्राकर पिता/पति संतोष चंद्राकर से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 31.03.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 16.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 28.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-1 (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है आवेदक ज्वायस थामस आ. थामस मैथ्यू साकिन रिसाली भिलाई के द्वारा ग्राम उतई प.ह.न. 42 रा.नि.मं. अण्डा तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 973/56 रकबा 0.02 हे. भूमि कुबेर सिंह आ. स्व. मन्नूलाल साकिन उतई से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 25.03.2021 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को क्रेता के नाम पर प्रमाणीकरण किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर दावा हो तो व नियत पेशी दिनांक 12.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम ये इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

आज दिनांक 14.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री उपेन्द्रनाथ पाठक आ. जगदम्बा पाठक निवासी रिसाली तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम धनोरा तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1055/8 रकबा 0.055 हें भूमि जो कि मृतक सुशीला देवी पति उपेन्द्र के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी सुशीला देवी पति उपेन्द्रनाथ पाठक की मृत्यु 22.03.2021 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 15.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक उपेन्द्रनाथ पाठक आ. जगदम्बा पाठक साकिन रिसाली द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 76/13 रकबा 0.015 हे. जो उसके स्व. सुशीला देवी के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 15.07.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 26.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक किशनलाल साहू आ. स्व. रेवाराम साहू साकिन द्वारा ग्राम ननकट्ठी प.ह.न. 14 रा.नि.मं. 01 दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 153 रकबा 0.4000 हे. जो उसके स्व. रेवाराम के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 16.07.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 29.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका संध्या बागड़े पिता/पति गोविंद बागडे निवासी वार्ड 43 सांई मंदिर के पास बिलासपुर मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. दुर्ग तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 667/53 रकबा 3324.75 वर्गफीट भूमि को विक्रेता/ आम मुख्तयार विक्की सिंह पिता लखन सिंह से दिनांक 30.03.2021 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 13.07.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री मूलसिंग साहू पिता स्व. शिवचरण निवासी कोलिहापुरी तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पिता के नाम पर ग्राम कोलिहापुरी प.ह.नं. तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 26/1 रकबा 0.0400 हे. भूमि एकल खाता/शामिल खाता में दर्ज है। खातेदार/सहखातेदार शिवचरण की मृत्यु दिनांक 01.12.2016 होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 12.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2020-21

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री प्रहलाद ठाकुर आ. अलखूराम निवासी कोकड़ी तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कोकड़ी तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 59, 93/2, 207/1 रकबा 0.54, 0.40, 0.51 हें भूमि जो कि मृतक खातेदार चम्पाबाई आ. अलखूराम के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु 13.10.2020 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 05.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई 03 जिला-दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./00055/अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती धनेश्वरी हरमुख पिता/पति लिकेश्वर हरमुख निवासी चरोदा ने ग्राम चरोदा प.ह.न. 57 रा.नि.मं. भिलाई 03 तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 354/3 रकबा 0.408 हे. को विक्रय पत्र के आधार पर भूमिस्वामी अजय, भूपेन्द्र, लक्ष्मी साहू पिता त्रिभुवन साहू का नाम विलोपित कर अपना नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पेश किया है।

जिसकी सुनवाई न्यायालय में दिनांक 14.07.2021 नियत है। अतः जो कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था उपरोक्त वर्णित संपत्ति में हित रखते है नियत तिथि को 11.00 बजे या उसके पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी आपत्ति/ दावा पेश कर सकते है। नियत तिथि के उपरांत दावा/ आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16.06.2021 को जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार भिलाई-3 जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई 03 जिला-दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./00039/अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शरदकुमार देवांगन पिता भुवनलाल देवांगन निवासी परेवाडीह ने ग्राम परेवाडीह प.ह.न. 62 रा.नि.मं. भिलाई 03 तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 3, 5, 49 रकबा 0.4200, 1.0800, 0.5600 हे. को विरासत हक के आधार पर भूमिस्वामी भुवनलाल देवांगन पिता बैकुठ का नाम विलोपित कर अपना नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पेश किया है।

जिसकी सुनवाई न्यायालय में दिनांक 30.07.2021 नियत है। अतः जो कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था उपरोक्त वर्णित संपत्ति में हित रखते है नियत तिथि को 11.00 बजे या उसके पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी आपत्ति/ दावा पेश कर सकते है। नियत तिथि के उपरांत दावा/ आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16.06.2021 को जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार भिलाई-3 जिला दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

प्र.क्र.//अ-2/ वर्ष 2020-21
ई.पंजी. 202106100600095

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक आई.रवि कुमार आ. आई चन्द्रशेखर निवासी 32 गोकुल चौक डाक बंगला वार्ड 66 पुरैना भिलाई 03 तहसील पाटन जिला दुर्ग के द्वारा अपने भूमिस्वामित्व की भूमि ग्राम उमदा प.ह.न. 01 रा.नि.मं. भिलाई 03 तहसील पाटन व जिला दुर्ग की स्थित भूमि खसरा नंबर 906/32 रकबा 0.0166 हें. अर्थात 1781 वर्गफीट की आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन किये जाने के लिये आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 172 एवं धारा 59 पुनिर्धारण के अधीन प्रस्तुत किया गया हैं।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उजर दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नियत दिनांक 06.07.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति पेश कर सकतें हैं। नियत दिनांक के पश्चात् प्राप्त आवेदन कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी पाटन जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई 03 जिला-दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./00038/अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री शरदकुमार देवांगन पिता भुवनलाल देवांगन निवासी मोरिद ने ग्राम मोरिद प.ह.न. 13 रा.नि.मं. भिलाई 03 तहसील पाटन जिला दुर्ग छ.ग. में स्थित भूमि खसरा नंबर 727, 745, 756, 761 रकबा 0.2900, 1.7600, 1.02, 1.37 हे. को विरासत हक के आधार पर भूमिस्वामी भुवनलाल देवांगन पिता बैकुठ का नाम विलोपित कर अपना नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन पेश किया है।

जिसकी सुनवाई न्यायालय में दिनांक 22.07.2021 नियत है। अतः जो कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था उपरोक्त वर्णित संपत्ति में हित रखते है नियत तिथि को 11.00 बजे या उसके पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी आपत्ति/ दावा पेश कर सकते है। नियत तिथि के उपरांत दावा/ आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16.06.2021 को जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार भिलाई-3 जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक महेन्द्र वर्मा आ. रामलाल वर्मा साकिन द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 323/1/45 रकबा 0.003 हे. जो उसके स्व. अंजली सिंह के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 12.07.2021 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र.//अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती भोज ठाकुर पति स्व. कमलकांत ठाकुर निवासी न्यू आदर्शनगर पोटिया तहसील व जिला दुर्ग द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि उनके पति के नाम पर ग्राम पिसेगांव प.ह.नं. तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 621 रकबा 0.25 हे. भूमि एकल खाता/शामिल खाता में दर्ज है। खातेदार/सहखातेदार कृष्णकांत ठाकुर की मृत्यु दिनांक 12.04.2021 होने से उनका नाम विलोपित कर वारिसान हक में मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने हेतु आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 12.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक नरेन्द्र कुमार साहू व अन्य पिता स्व. कुंजराम साहू निवासी वार्ड 56 उरला दुर्ग मौजा उरला प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. सिकोला तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 198/4, 418/1, 513/1, 589, 679 रकबा 0.1950, 0.087, 0.0120, 0.1050, 0.2550 हे. कुंजराम साहू के नाम पर दर्ज है भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 11.04.2021 को हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 12.07.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग 03 जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका अंकिता जैन पिता/पति नितिन कुमार जैन निवासी मिलपारा दुर्ग मौजा बघेरा प.ह.नं. 48 रा.नि.मं. दुर्ग-2 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 272/74 रकबा 0.017 हे. 1800 वर्गफीट कंचनबाई लोढ़ा के नाम पर दर्ज है, भूमिस्वामी की मृत्यु दिनांक 23.05.2021 को हो जाने के कारण वारिसानों का नाम दर्ज करने आवेदन पेश किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 12.07.2021 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202106101000176
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कोहका प.ह.न. 00019 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार-
श्रीमती शीला वर्मा
अनावेदक पक्षकार-

आवेदिका श्रीमती शीला वर्मा पति गणेश वर्मा निवासी सिविक सेंटर भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न. 19 रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 649/34 रकबा 0.020 हे. है जो बिस्तीन वर्मा जौजे प्रीतराम वर्मा के नाम पर दर्ज है। भूमिस्वामी बिस्तीन वर्मा जौजे प्रीतराम वर्मा की मृत्यु दिनांक 20.04.2021 को हो जाने के कारण उसके विधिक वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय खसरा बी-1, मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर जिला दुर्ग (छ.ग.)
मामले की श्रेणी-राजस्व
ईश्तहार

मा.क्रं. 202106101000175
विषयः अ-06 वर्ष 2020-21
कोहका प.ह.न. 00019 हे.)
पक्षकारों का विवरण : आवेदक पक्षकार-
श्रीमती नीता वर्मा
अनावेदक पक्षकार-

आवेदिका श्रीमती नीता वर्मा पति राजेन्द्र कुमार वर्मा निवासी कोहका भिलाई द्वारा ग्राम कोहका प.ह.न. 19 रा.नि.म. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 649/26 रकबा 0.009 हे. 821 वर्गफीट भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर विक्रेता परवीन बानो पति मोहम्मद सलीम निवासी सुपेला भिलाई से क्रय किया है कि नामांतरण किए जाने बाबत् आवेदन पत्र मय बैनामा की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24.06.2021 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर (छ.ग.)

न्यूज गैलरी

पूरी-सूरत के मध्य फेरे लगाने वाली स्पेशल ट्रेन पूरी-खुर्दा रोड रद्द रहेगी

रायपुर। कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम एवं रथ यात्रा उत्सव के मद्देनजर रेल प्रशासन के द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से होकर जाने वाली पूरी-सूरत-पूरी स्पेशल ट्रेन का परिचालन पूरी एवं खुर्दा रोड रेलवे स्टेशनों के बीच रद्द किया गया है। रेल मंडल रायपुर कार्यालय से इस संबंध में जानकारी दी गई है। गाड़ी 02827 पूरी से सूरत के लिए चलने वाली 04 जुलाई से 18 अगस्त तक एवं गाड़ी 02828 सूरत से पूरी के लिए चलने वाली ट्रेन 06 जुलाई से 20 जुलाई तक पूरी-खर्दा रोड स्टेशन के बीच रद्द रहेगी।

दपूमरे से होकर चलने वाली 04 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरों में वृद्धि

रायपुर। रेल यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन के द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे से होकर चलने वाली 04 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में विस्तार किया गया है। इन सभी गाड़ियो में कोविड -19 के सभी नियमो का पालन करना बहुत जरूरी है एवं इन गाड़ियो में कनफर्म टिकट यात्रियो को ही यात्रा करने की अनुमति दी जायेगी। रेल मंडल रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार जिन ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की गई है उनमें क्रमशः 02905 ओखा-हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल को 28 अगस्त तक, 02906 हावड़ा-ओखा साप्ताहिक स्पेशल 31 अगस्त तक, 09205 पोरबंदर-हावड़ा द्वि साप्ताहिक स्पेशल 26 अगस्त तक, 09205 हावड़ा-पोरबंदर द्वि साप्ताहिक स्पेशल 28 अगस्त तक, 07026 सिकंदराबाद-रक्सौल साप्ताहिक स्पेशल 30 जुलाई तक, 07027 रक्सौल-सिकंदराबाद साप्ताहिक स्पेशल 02 अगस्त तक, 02594 हावड़ा-साईनगर शिर्डी साप्ताहिक स्पेशल 29 जुलाई तक तथा 02593 शिर्डी-हावड़ा साप्ताहिक स्पेशल 31 जुलाई तक चलेगी।

स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें शर्तो के अधीन खुलेंगे कोचिंग संस्थाए

रायपुर/नवप्रदेश। कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने रायपुर जिला में आमजनता के आवागमन एवं अन्य सार्वजनिक गतिविधियों पर आगामी आदेश तक आंशिक संशोधन करते हुए आदेश जारी किया हैं। इस आदेश के तहत स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें किन्तु राज्य शासन के निर्देशानुसार ओपन स्कूल/कॉलेजों में बाह्य एवं आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर-पुस्तिकाएँ जमा करने संबंधित विद्यार्थी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुये जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित प्राचार्य सुचारु व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं एवं ऑनलाइन शिक्षा को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु कोचिंग क्लासेस उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत तथा एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों की सीमा के साथ उनके प्रचलित समय से रात 8 बजे तक खोले जा सकेगें।

वनांचल में सिंचाई सुविधा हेतु नदियों के किनारे विद्युत लाईन बिछाने कार्ययोजना बनाएं : मुख्यमंत्री

- बस्तर-सरगुजा अंचल और कोरबा जिले में नदी किनारे विद्युतीकरण प्राथमिकता से कराने के निर्देश
- सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण का कार्य तेजी से करने के निर्देश

सोलर सामुदायिक सिंचाई योजना को पारम्परिक तालाबों से जोड़ा जाए: जहां तालाब नहीं हैं, वहां मनरेगा से तालाब निर्माण कराएं

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि वनांचल में नदियों के किनारे विद्युत लाईन बिछाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आकांक्षी जिलों विशेषकर बस्तर, सरगुजा अंचल सहित कोरबा जिले में नदियों के किनारे विद्युत लाईन के विस्तार के काम में डीएमएफ फंड का उपयोग किया जाए। इससे किसानों को जहां सिंचाई सुविधा मिलेगी, वहीं उनके जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के पानी का उपयोग करने से भू-जल का दोहन रूकेगा, वहीं सतही जल के उपयोग से बिजली की खपत कम होगी। उन्होंने कहा कि बस्तर अंचल में इन्द्रावती नदी, सुकमा में शबरी नदी, कोरबा में हसदेव नदी, दंतेवाड़ा में नदी किनारे विद्युत लाईन बिछाने का कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। इसके लिए इन जिलों के कलेक्टरों से सम्पर्क कर जल्द कार्य योजना तैयार की जाए। वनांचल क्षेत्रों में जहां विद्युत सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने सौर सुजला योजना में सोलर पंप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, विशेष सचिव ऊर्जा और छत्तीसगढ़ पॉवर कंपनियों के अध्यक्ष श्री अंकित आनंद सहित बिजली कंपनियों के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किसानों के सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण का कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा बजट सत्र 2021 के दौरान किसानों के 35 हजार 161 सिंचाई पंपों के ऊर्जीकरण की घोषणा की गई है। बैठक में ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव श्री अंकित आनंद ने बताया कि इसमें से 11 हजार 661 सिंचाई पंपों को बिजली कनेक्शन दे दिए गए हैं और 23 हजार 500 सिंचाई पंपों को कनेक्शन देने का काम चल रहा है। यह कार्य नवम्बर के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अगले तीन वर्षों में योजना के तहत 817 करोड़ रूपए व्यय कर 33/11 के.व्ही. के 112 नये उपकेन्द्र बनाए जाएंगे, 166 पावर टंअसफार्मर की क्षमता बढ़ाई जाएगी। 3020 किलोमीटर 33 के.व्ही. लाइन और 1715 किलोमीटर 11 के.व्ही. लाइन का विस्तार किया जाएगा। गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के अंधियारखोर और आमाडांड में 2 उपकेन्द्रों का निर्माण अगस्त 2021 तक और कोरिया जिले के कटघोड़ी के विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण दिसम्बर तक पूर्ण होगा। बैठक में बताया गया कि विद्युत कम्पनियों में 129 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। बैठक में लो वोल्टेज समस्या के निराकरण और हॉफ बिजली बिल योजना, स्थानीय लोगों को रोजगार सहित विभिन्न कार्यों की समीक्षा की गई।

मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि वनांचल में किसानों को सिंचाई सुविधा देने के लिए इन क्षेत्रों के कलेक्टरों को डीएमएफके जरिए किसानों के खेतों में बोर खनन कराने के लक्ष्य भी दिए जाएं। इसी प्रकार जिन स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना है, वहां डीएमएफ से बोर खनन की व्यवस्था कर सोलर पंप उपलब्ध कराएं जाए।

पैडी ट्रांसप्लॉटर मशीन से धान रोपाई पर किसानों को दिया जाता है अनुदान

रायपुर/नवप्रदेश। राज्य शासन के कृषि विभाग द्वारा किसानों को पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान रोपाई के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस आधुनिक पद्वति से धान रोपाई के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों के सभी वर्ग के किसानों को प्रति हेक्टेयर की दर से साढे सात हजार रूपये का अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग के संचालक श्री यशवंत कुमार ने बताया कि इससे जहां धान उत्पादन में वृद्धि होगी वहीं कृषि श्रमिकों की समस्या से निदान होगा और बीज की बचत होने के साथ निंदाई, गुड़ाई, कटाई आदि में सुगमता होगी।

अपर संचालक कृषि अभियांत्रिकी श्री जी.के. पीड़िया ने बताया कि पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन से धान की रोपाई के लिए क्लस्टर के रूप में कृषकों का चयन किया जाता है। एक क्लस्टर न्यूनतम 4 हेक्टेयर का होना चाहिए। एक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर सीमा तक अनुदान की पात्रता है।

रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के गनियारी के किसान श्रीमति मेधनी वर्मा अपने खेत में पैडी ट्रांसप्लांटर मशीन के माध्यम से रोपाई करवा रही है। इसके लिए उन्होंने अपने खेत में करीब 15 दिन पहले नर्सरी तैयार करवाया है। इसी तरह रायपुर जिले के साथ-साथ संभाग के सभी जिलों तथा दुर्ग संभाग के कबीरधाम, राजनांदगांव आदि में भी किसान लाभांवित हो रहे है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकतर क्षेत्र में वर्तमान में छिटका (बाड कास्टिंग) पद्धति के माध्यम से धान की बुआई की जाती है। इस परंपगत् पद्धति में जहां बीज का खपत ज्यादा होती है वहीं निदाई, गुड़ाई, कटाई आदि में कठिनाई होती है। कृषि कार्य हेतु श्रमिकों की लगातार हो रही कमी को देखते हुए किसानों का रूझान अब पैडी ट्रांसप्लॉटर मशीन से धान की रोपाई के प्रति बढ़ रहा है। योजना से लाभांवित होने तथा योजना की जानकारी प्राप्त करने संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय अथवा जिलों के उप संचालक कृषि कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

महंगाई के विरोध में कांग्रेस का 6 जुलाई से राष्ट्रव्यापी आंदोलन

रायपुर/नवप्रदेश। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा देश में चलाये जा रहे आउटरिच अभियान के समयबद्ध क्रियान्वयन करते हुये प्रदेश कांग्रेस कमेटी महंगाई एवं आसमान छुती पेट्रोल-डीजल के कीमतों के विरोध में केन्द्र सरकार के खिलाफ राज्य स्तर एवं जिला, ब्लाक स्तर पर आंदोलन करेगी। मंहगाई के विरोध में 6 जुलाई को ब्लाक स्तरीय आंदोलन हस्ताक्षर अभियान चलाया जायेगा इस दौरान थाली एवं अन्य बर्तनो को पीट-पीटकर विरोध दर्ज करते हुये पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को कम किये जाने की मांग कि जायेगी। इस दौरान मंहगाई के विरोध में पाम्पलेट, पोस्टर एवं प्ले-कार्ड के साथ स्थानीय स्तर के समस्त पेट्रोल पम्पों मे आमजनता से हस्ताक्षर कराया जायेगा। 14 जुलाई को जिलास्तरीय सायकल यात्रा निकाली जायेगी। 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेसजनों के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में पैदल मार्च निकालकर महंगाई व ईधनों की कीमतों में की गयी वृद्धि का विरोध किया जायेगा एवं प्रधानमंत्री के नाम जिलाधीश को ज्ञापन दिया जायेगा।

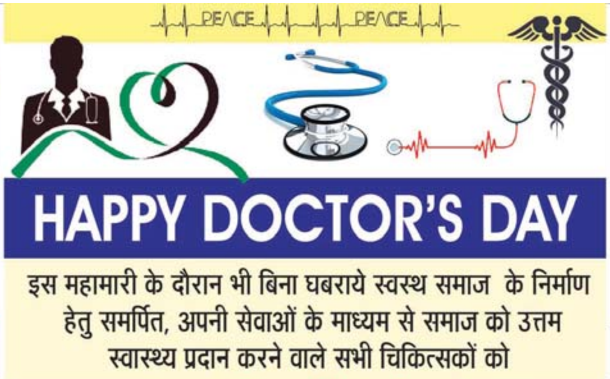

संपादकीय

कोरोना योद्धाओं का सहयोग करें

भारत में कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमे सबसे अग्रणी भूमिका हमारे कोरोना योद्धा निभा रहे है। यह उन्हीं के भागीरथ प्रयासों का सुफल है कि तमाम विपरित परिस्थितियो के बावजूद हमारे स्वास्थ्य कर्मी टीकाकरण अभियान को तेज करने में सफल हुए है। अब तक देश में 30 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और टीकाकरण का अभियान दिनो दिन तेज हो रहा है तथा नया किर्तीमान रच रहा है। इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी बधाई के पात्र है जो लगातार अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो टीकाकरण के काम में लगे इन कोरोना योद्धाओं को विषम स्थिति का भी सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि कोरोना से टीका को लेकर उड़ाई गई अफवाहों के चलते लोग कोरोना का टीका लगाने के लिए तैयार ही नहीं होते और चिकित्साकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने से भी नहीं चूकते। कई जगह तो स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। इसके बावजूद कोरोना योद्धा हतोत्साहित नहीं हो रहे है और पूरे उत्साह के साथ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफल बनाने में पूरे मनोयोग से जुटे हुए है। इन कोरोना योद्धाओं की जिनती भी प्रशंसा की जाएं उतनी कम है। इनका यह अमूल्य योगदान भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कोरोना के खिलाफ भारत जंग जीतने के करीब पहुंच चुका है बस अब हम सबको चाहिए कि इस जंग में अपनी भी भगीदारी बढ़ाएं, कोरोना योद्धाओं का सहयोग करें और लोगों को अफवाहों से दूर रहने तथा वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें। कोरोना के खिलाफ जंग में सभी की सहभागिता सुनिश्चित होगी तभी हम यह जंग जीत पाएंगे। वैसे भी 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जल्द से जल्द शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना एक बड़ी चुनौती है जिसका सबको मिलकर ही सामना करना होगा।

विचार

गुन्डा

अर्पणा अग्रवाल

गुन्डा आप भी सोच रहे होंगे के ये कैसा विषय है। इस शब्द को सुनकर ही हम बहुत सी अटकले लगाने लगते है।ये तो स्वाभाविक है। लेकिन आज आप ये कहानी सून कर आप के विचार आपको सोचने पर मजबूर कर देगे। अच्छे लगे तो उत्साहित जरूर किजिए और आगे बढ़ाए चलिए आपको इस विषय पर ले कर चलती हूँ। जब हम कॉलेज जाते है।तो हम सभी के कुछ ना कुछ सपने होते है। जिसे हम अपने-अपने तरीके से पूरी करने की कोशिश में लगे रहते है। अपना-अपना परिचय देते है। ये वो कालेज है जिसमे लडकी-लड़का एक साथ पढ़ते थे। कुछ लड़के-लड़की अच्छे दोस्त बन जाते है और कुछ को हम दोस्त बनाने के लिए सोचते है। बीना जाने समझे वो कैसे है।हम उनके बारे में गलत सोचते है। किसी से सून कर या किसी की बातों मे आ कर। इसी तरह ये जो लड़का है गुन्डे के नाम से मशहूर हो गया था। उसको बीना जाने तभी उस कालेज मे एक नई लड़की आती है।जो बहुत खुबसूरत थी लेकिन क्या हम हर खुबसूरत लडका या लड़की को खराब नजर से तो नही देखते ना पर ये कहाँ सोचते है। बस हमारे दिमाग मे तो यही चलता है कि वो हमे ऐसी-वैसी नजरो से देख रहा है। उस लडकी को भी ऐसा लगने लगता है। तभी उस लडकी को कुछ समय बाद ऐसा लगने लगता की वो उसका पीछा कर रहा है। यही सच भी था वो पीछा भी कर रहा था और कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा था। कुछ समय बाद वो लड़की उसे अनदेखा करने लग जाती है। तभी अचानक एक दिन वो अपने कालेज के पुस्तकालय मे कुछ पुस्तक ढूंढने में लगी रहती है। तभी अचानक से उस लडके(जिसे लोग-बाग गुन्डा कहते थे) ने उस खुबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर कुछ कहना चाह रहा था पर उस लड़की ने उसकी कुछ बात सुनने से पहले उसे जोरदार एक थप्पड दे मारती है। वो बीना कुछ कहे ही चला जाता है। उसके बाद कालेज एक दिन के बाद खूलने वाला था। जब कालेज खुला तो सभी आये और आने के बाद जो देखा तो एक सन्नाटा छा गया। तभी वो लड़की आती है और अपनी दोस्त से पूछती है ये भीड कैसी है। उसकी दोस्त खामोश और स्तब्ध खडी रहती है। किसी के कुछ जवाब ना देने पर वो भीड को काटती हुई खुद जा कर देखती है और पत्थर की भाँती वो भी हो जाती है। वो देखती है कि वही गुन्डा लडका धरती पर बेजान पढा है वो मर चुका था। पर उसके हाथ मे एक पत्र और राखी था। पुलिस ने पत्र को देते हुए कहा ये आप के लिए। पत्र पढ के तो उसके पैरो तले से जमीन निकल जाती है। उस पत्र मे लिखा कि उस दिन मैने आपका हाथ इस राखी को बंधवाने के लिए पकडा था। दूसरे दिन राखी की छुट्टी थी। आप से राखी बधवाना चाहता था। आप मे मुझे अपनी बहन दिखाई दी। चलो कोई बात नही तुम्हारी हमारी अगली मुलाकात मे अपनी बहन की शिकायत दूर कर दूंगा। मै गून्डा नही मै बहन के प्यार का भूखा था। मेरे पास सब है। घन-दौलत पर बहन नही थी। आज से मेरे माँ और पिता जी का ख्याल मेरी छोटी बहन रखेगी। बहन किसी को कुछ गलत या कुछ भी समझने से पहले उसके बारे मे जानो फिर कोई भी धारणा बनाओ। मै बूजदील नही हू। मेरी मौत शायद सबको सोच बदने पर मजबूर कर दे की कोई लडका केवल लडकीयो के गलत नजर से ही नही भल्की कोई--भाई या कोई--दोस्त की नजर, कोई हमदर्द की नजर से देखते है। कुछ लडको के कारण सभी को गलत ना समझो। ये सोच आप लोग को अच्छी लगी तो कृपा मेरे को हौसलाअफ्जाई करे।

चिकित्सक : सेवा, समर्पण और साहस की मिसाल

तेजबहादुर सिंह भुवाल

> हमारे देश में लगभग दो तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। हम सभी जानते हैं, कि अन्य सेवाओं की तरह चिकित्सा सेवाओं की स्थिति भी हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी बुरा हाल है। ग्रामीण लोगों को अपने ईलाज के लिए बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता है। कई बार तो उन्हें झोलाछाप डॉक्टरों की सेवाएं लेने में विवश होना पड़ता है। उन्हें अनेकों बार अपनी मेहनत की कमाई गंवाने के साथ ही अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफऐसी स्थिति में चिकित्सा सेवा का सुनियोजित विस्तार आवश्यक जान पड़ता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के व्यावसायीकरण की बजाए ऐसी सेवाओं की प्रदायगी मानव सेवा के मानवीय पहलुओं पर केन्द्रित होना आज की आवश्यकता हो गयी है। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाये शहरों में अब सीमित नहीं छोटे-छोटे कस्बो में भी निजी अस्पतालओं और नर्सिंग होम तक विस्तारित हो रही है जहां चिकित्सीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है। आम आदमी को चिकित्सीय पद्धतियों या दवाओं की विशेष जानकारी नहीं होती।

भारत देश में प्रति वर्ष एक जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टरों के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने लिए देश ने सन् 1991 में प्रति वर्ष 01 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे मनाने का निर्णय लिया था। इसी दिन महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधानचंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि भी होती है। नेशनल डॉक्टर डे मनाते हुए उस महान शख्सियत को भी याद किया जाता है।

डॉ. विधानचंद्र रॉय को 04 फरवरी 1961 को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। स्व. रॉय जी का जन्म 01 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ था। उन्होंने अपनी डॉक्टरी की डिग्री कोलकाता से पूरी की। फिर 1911 में अपनी एमआरसीपी और एफआरसीएस की डिग्री लंदन से पूरी की। उसके बाद भारत में एक चिकित्सक के रुप में अपने चिकित्सा जीवन की शुरुआत की। बाद में वे कोलकाता मेडिकल कॉलेज से एक शिक्षक के रुप में जुड़ गये, फिर कैंपबेल मेडिकल स्कूल गये और उसके बाद कारमाईकल मेडिकल कॉलेज से जुड़ गये।

वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, शिक्षाविद् होने के साथ-साथ ही स्वतंत्रता सेनानी भी थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वे महात्मा गाँधी से जुड़े हुए थे। बाद में वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने। 80 वर्ष की आयु में 1962 में अपने जन्मदिवस के दिन ही चल बसे। उनको सम्मान और श्रद्धंजलि देने के लिये वर्ष 1976 में उनके नाम पर डॉ.बी.सी. रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत हुई।

समाज में चिकित्सक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान समय में, जब पूरा देश कोरोना महामारी से कांप उठा था, तब चिकित्सक अपनी जान की परवाह किए बगैर दिन-रात देश-सेवा में लगे हुए थे। देश में चिकित्सकों ने एक टीम भावना के साथ काम किया। किसी ने अपनी सोच पर बीमारी से लड़ने की रणनीति बनाई, कोई समर्पण का चेहरा बना, तो कोई साहस की मिसाल। कई चिकित्सक अपना घर-द्वार छोड़कर महीनों अस्पताल में रहे। स्वयं के घर में किसी परिजन की मृत्यु होने की स्थिति में भी वे एक भी दिन भी अवकाश पर नहीं रहे।

देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में चिकित्सकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाएं

अच्छी नहीं होती तो देश के हालात कोरोना के इस समय में और भी बुरी हो सकती थी। समय रहते महामारी को बढ़ने से रोक लिया गया। चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने लगन व समर्पण भाव से समय पूर्व कोरोना वैक्सीन बनाने में कामयाबी पाई। उन्होंने संसाधन की कमी के बावजूद हार नहीं मानी। अस्पताल में कभी दवाई की किल्लत, कभी ऑक्सीजन की कमी, कभी जगह नहीं होने से ईलाज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर भी बिना रूके, बिना डरे निरंतर लाखों जीवन की रक्षा के लिए अग्रसर रहे। यह एक सीख भी है कि आने वाले हर खतरे या आकस्मिक समस्या के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्वास्थ्य संसाधन बढ़ाना चाहिए और प्रत्येक शहर सहित ग्रामीण अंचलों में भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। यही अवसर है जब हम आने वाले समय के लिए अभी से तैयारी करें, इसके लिए शासन, प्रशासन ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वह नियमों का भली-भांति पालन करें। हम ऐसी कोई भी चीज ना करें, जिससे हमारे व हमारे शहर, राज्य या देश का अहित हो। छोटी-सी गलती या लापरवाही भी मंहगी पड़ सकती है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। यह समय जो आया है वह धीरे-धीरे गुजर जाएगा, लेकिन जिन परिस्थितियों व कठिनाईयों से हमने वक्त गुजारे हैं, क्या उसका दुहराव नहीं होना चाहिए। इस महामारी ने ना जाने कितनों की जान ले ली। उसके बावजूद लापरवाही बरती जा रही है। लॉकडाउन क्या खुल गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे लोग कैद से निकल के भाग रहे हो। अनावश्यक घर से ना निकलें, अति आवश्यक हो तभी पूर्ण सुरक्षा के साथ निकलें। अभी कोरोना गया नहीं है, सिर्फ संक्रमण कम हुआ है, लेकिन अभी ऐसा माहौल चल रहा है, कभी कुछ हुआ हीं नहीं। इस प्रकार लोग बेखौफ भीड़भाड़ वाली जगह में घूमते रहे तो बहुत जल्द ही तीसरी लहर आ सकती है। अभी भी वक्त है अगर हम ठान लें कि हमर सुधरेंगे तो देश सुधरेगा। आप दूसरों को देखकर गलत ना करें, बल्कि आपको देखकर लोग सुधरें, ऐसा करने का प्रयास अवश्य करें। हम सभी का जीवन अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं। जरा जाकर उन घरों को देखिए जिनके घरों में पालन-पोषण करने वाले मुखिया ही नहीं रहे, जो कोरोना के कारण अब इस दुनिया में नहीं रहे। छोटी सी लापरवाही या जागरूकता की कमी ने उनकी जान ले ली।

हमारे देश में लगभग दो तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। हम सभी जानते हैं, कि अन्य सेवाओं की तरह चिकित्सा सेवाओं की स्थिति भी हमारे देश में बहुत अच्छी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी बुरा हाल है। ग्रामीण लोगों को अपने ईलाज के लिए बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता है। कई बार तो उन्हें झोलाछाप डॉक्टरों की सेवाएं लेने में विवश होना पड़ता है। उन्हें अनेकों बार अपनी मेहनत की कमाई गंवाने के साथ ही अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। दूसरी तरफ ऐसी स्थिति में चिकित्सा सेवा का सुनियोजित विस्तार आवश्यक जान पड़ता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं के व्यावसायीकरण की बजाए ऐसी सेवाओं की प्रदायगी मानव सेवा के मानवीय पहलुओं पर केन्द्रित होना आज की आवश्यकता हो गयी है। अब चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाये शहरों में अब सीमित नहीं छोटे-छोटे कस्बो में भी निजी अस्पतालओं और नर्सिंग होम तक विस्तारित हो रही है जहां चिकित्सीय सेवाओं का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता है। आम आदमी को चिकित्सीय पद्धतियों या दवाओं की विशेष जानकारी नहीं होती। वे पूरी तरह से अस्पताल व नर्सिंग होम के कर्मचारियों व चिकित्सकों पर निर्भर होते हैं। ऐसे में छोटी सी लापरवाही मरीज की जान ले सकती है। कुछ लोभी चिकित्सकों के कारण पूरी डॉक्टरी कौम बदनाम हो रही है। इसके लिए मैं सभी चिकित्सकों से अपील करता हूं कि वे अपने चिकित्सा के क्षेत्र को नई ऊचाई तक ले जाएं, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य का अपने अनुभव, साहस एवं नई तकनीक से जनता की निःस्वार्थ सेवा कर सके। चिकित्सक भी एक वक्त तक ही किसी का जान बचाने का प्रयास कर सकते हैं।

सफेद लैब कोट में देवदूत बनकर जान बचाते डॉक्टर

श्वेता गोयल

> डॉक्टर लोगों को विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों से निजात दिलाने में पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे में डॉक्टर्स डे हमें स्मरण कराता है कि डॉक्टरों की हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका रहती है। कई बार कुछ गंभीर मरीजों के मामलों में लाख कोशिशों के बावजूद डॉक्टर सफल नहीं हो पाते और ऐसे कुछ अवसरों पर बिना उनकी किसी गलती के उन्हें ऐसे मरीज के परिजनों का गुस्सा भी झेलना पड़ता है। हालांकि ऐसे अधिकांश मामलों में मरीज की हालत ही इतनी गंभीर होती है कि डॉक्टर चाहकर भी मरीज के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। बहरहाल, आज अगर देश कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से निजात पाने में सफल हुआ है तो इसमें बड़ा योगदान हमारे डॉक्टरों का ही है।

भारत में प्रतिवर्ष एक जुलाई को डॉक्टरों के समर्पण और ईमानदारी के प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए 'नेशनल डॉक्टर्स डे' मनाया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा यह दिवस सबसे पहले वर्ष 1991 में मनाया था। हर साल एक जुलाई को ही देशभर में यह दिवस मनाए जाने का भी विशेष कारण है। दरअसल देश के जाने-माने चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डा. बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि एक जुलाई को ही है और उन्हें श्रद्धांजलि एवं सम्मान देने के लिए ही नेशनल डॉक्टर्स डे के लिए यही दिन निर्धारित किया गया। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना जिले में हुआ था तथा निधन 1 जुलाई 1962 को हुआ। डा. बिधान चंद्र ने अपने जीवनकाल में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने वर्ष 1911 में अपने चिकित्सकीय कैरियर की शुरुआत की और एक बेहतरीन डॉक्टर होने के साथ ही वे भारत की आजादी के आन्दोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भी रहे।

उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट बार्थोलोम्यू अस्पताल से डॉक्टरी की पढ़ाई की कोशिश की लेकिन तब उनके भारतीय होने के कारण उन्हें वहां दाखिला नहीं मिला। बिधानचंद्र भी अपनी धुन के पक्के और दृढ़निश्चयी थे, उन्होंने हार नहीं मानी और दाखिले के लिए करीब डेढ़ माह तक लगातार अस्पताल के डीन के पास आवेदन करते रहे। अंततः उनके दृढ़ निश्चय से प्रभावित होकर डीन ने 30वीं बार में उनका आवेदन स्वीकार कर लिया और अपनी लग्न तथा कड़ी मेहनत से उन्होंने मात्र सवा दो साल में ही डिग्री हासिल कर एक साथ फिजिशयन तथा सर्जन की रॉयल कॉलेज की सदस्यता हासिल की। वहां से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्वदेश लौटकर उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कार्यों को अंजाम दिया। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए उन्हें 'बंगाल का आर्किटेक्ट' भी कहा जाता है। वर्ष 1961 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से नवाजे गए डा. बिधान चंद्र की याद में ही तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा 1991 में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने की घोषणा

की गई थी, तभी से हर साल एक जुलाई को ही यह दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन का आयोजन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) द्वारा किया जाता है।

न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना महामारी में तो डॉक्टर फ्रंटलाइन योद्धा के रूप में सामने आए हैं। महामारी के भयानक दौर में सफेद लैब कोट में देवदूत बनकर लाखों लोगों का जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे डॉक्टरों के सम्मान में इस साल मनाए जा रहे डॉक्टर्स डे का महत्व इसीलिए बहुत ज्यादा है। दरअसल कोरोना काल में डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को नया जीवन दे रहे हैं। मरीजों की जान बचाते-बचाते प्राणघातक कोरोना वायरस के कारण पिछले डेढ़ साल में सैंकड़ों डॉक्टरों की भी मौत हुई है लेकिन फिर भी बिना घबराए डॉक्टर देश को कोरोना महामारी से उबारने में जुटे रहे हैं। डॉक्टरों की ही बदौलत महामारी के इस दौर में करोड़ों लोगों का जीवन बचाया जा सका है। ऐसे में महामारी के दौरान चौबीसों घंटे सेवा प्रदान करने के लिए ही डॉक्टर्स डे के माध्यम से सभी डॉक्टरों तथा चिकित्सा पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। वैसे भारत के अलावा अन्य देशों में भी डॉक्टरों को सम्मान देने के लिए अलग-अलग तारीखों पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में पहली बार मार्च 1933 में डॉक्टर्स डे मनाया गया था। यह दिन चिकित्सकों को कार्ड भेजकर तथा मृत डॉक्टरों की कब्रों पर फूल चढ़ाकर मनाया जाता था। अमेरिका में यह दिवस 30 मार्च को, ईरान में 23 अगस्त को तथा क्यूबा में 3 दिसम्बर को मनाया जाता है।

हमारे समाज में तो डॉक्टरों को भगवान के समान यूं ही नहीं माना गया है। कोरोना महामारी से देश को उबारने में तो हमारे डॉक्टरों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऐसे कठिन समय के दौरान डॉक्टर तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिस प्रकार दिन-रात कोविड मरीजों की देखभाल में जुटे रहे हैं, उसके लिए पूरा समाज सदैव उनका ऋणी रहेगा। स्विटजरलैण्ड के प्रख्यात मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक कार्ल गुस्ताव जंग ने एक बार कहा था कि दवाईयां बीमारियों का इलाज करती हैं लेकिन मरीजों को केवल डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। उनका यह उद्धरण मौजूदा समय में तो सर्वाधिक प्रासंगिक नजर आता है। किसी भी मरीज की बीमारी की गंभीरता को देखते हुए उसके इलाज के लिए उपयुक्त दवाओं का चयन डॉक्टर ही करता है। कनाडा के सुप्रसिद्ध डॉक्टर विलियम ऑस्लर ने कहा था कि एक अच्छा डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है जबकि महान् डॉक्टर उस मरीज का इलाज करता है।

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

कुछ एहसास शब्दविहीन

कुछ एहसास शब्दविहीन होते हैं जो कलम से नही उतारे जा सकते, कुछ राहें आसान नही होती पर चलना हमारी मजबूरी होती है, कुछ आँखें रोती हैं मगर आंसू भी कभी-कभी आँखों को चूभते हैं, वक्त है गुजर जाएगा मगर वो इंसान दूबारा नही मिलते जिन्हें खामोशी से जाते हुए हम देखते है बस कुछ था जो लिखने को दिल चाहा।

– स्निग्धा रूद्रा

देश का दुर्भाग्य तो

देश का दुर्भाग्य तो देखो विदेश मे 3 करोड़ का घोटाला कर के असली गांधी की पोती जेल मे और हमारे भारत मे अरबो का घोटाला कर के भी नकली गांधी परिवार आजाद धूम रहा है। दोगले लोकतंत्र, वोटतंत्र और दोगले सेक्युलरिजम की वजह से ये आजाद घूम रहे हैं, नही तो इनकी जगह तो तिहाड़ ही है।

– विजय पाण्डेय

खास पाती

जा बदरिया जा, ले जा ये

जा बदरिया जा, ले जा ये संदेश पिया मिलन को आ रही, नदी तुम्हारे देश.... बचपन बीता पर्वत-पर्वत, कभी झील कभी झरनों में ऊंचे-ऊंचे हिम-शिखर और, घने लहराते वनों में छूटी गोद माता की, अब जाना है दूर देश... किशोरावस्था मैं खेली-कूदी, खेतों और खलिहानों में अपने तट पर बसे हुए, तीरथ और देवस्थानों में किसानों को समृद्ध किया, मिटाए सारे क्लेश... अब तो यौवन छलक रहा है, जैसे हो मधु का प्याला अपना ही अंतस झुलस रहा है, धधक रही जैसे हो ज्वाला प्रीतम सागर से मिलने, अब ली है दुल्हन वेश।

– कवि सुशिल भोले

मैं एकमात्र गवाह हूँ अपनी आँखो

मैं एकमात्र गवाह हूँ अपनी आँखो के गवाक्ष में लहराती मचलती रंगारंग मौजों की जहाँ से चुराये थे प्रातः कालीन आकाश ने कभी अपने प्रिय क्षितिज के लिए आकर्षक मोहक सतरंग मैं ही गवाह हूँ उस सांध्य बेला की भी जो अनायास ही एक दिन घिर आयी थी इन आँखो के आँगन में जो क्रमशः परावर्तित होती चली गयी श्वेत श्याम वर्ण में कालांतर में श्वेत भी अवशेष कहाँ रहा ढ़लने लगा अनवरत श्याम में जी हाँ!

– ममता अमर

जीवन मेरा बन गया

जीवन मेरा बन गया तमाशा चाहे लाख मैंने उसे तराशा फिर भी नहीं रहा मेरे पासा किन्तु परन्तु लेकिन लगाकर भी नहीं बाँध पाया वो जीवन पाशा चाहा बन जाय जीवन मेरा तमाशा तमाशा के साथ मैं करता रहा तमाशा फिर भी बची नहीं एक भी आशा बीज स्वरूप पुनः जागूं मैं बस मन की यही इक आशा जीवन मेरा बन गया तमाशा चाहे लाख मैंने उसे तराशा।

– ललित उपाध्याय

तुम्हारे पीछे मैं भी बुद्ध बन

तुम्हारे पीछे मैं भी बुद्ध बन जाती तो दुनिया मुझे अपवित्र ठहराकर अलगनी में रख भूल जाती इसीलिए तो आंखें मुंदकर तुम्हारे प्रस्थान का मार्ग सुलभ कर जिम्मेदारी का दायित्व ओढ़े चल रही हूं अनंत काल से।

– सरिता शैल

काले बादलों में से झांकता

काले बादलों में से झांकता सूरज नाउम्मीदी में दिखाता आशा की किरण तमाम उदासियों के मध्य जो छिपी होती बस, देखने वाली दृष्टि न, न... दृष्टिकोण जरूरी होता जो जीवन की समस्याओं को नये मायने देता है।

– सुश्री इंदु सिंह

जब बंदा वास्तव में बंद कर

जब बंदा वास्तव में बंद कर देता हैं...शिकायत करना, दुहाई देना,हक रखना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उससे बात करे या नजरंदाज।वह खुद से मिल कर खामोश हो जाता है ... क्योंकि उसके सामने बोलने वाले रिश्ते बेनकाब हो चुके।

– मीनू वौहरा

जिस पर रहा न हक उसे हमने छुआ नही,फैला के हांथ मांगना हमसे

जिस पर रहा न हक उसे हमने छुआ नही,फैला के हांथ मांगना हमसे हुआ नही पहुंचें तुम्हारे हांथ जहां तक भला करो, खाली किसी गरीब की जाती दुआ नही चाहत है जिस जगह वहां रहती उमीद भी ऐसी न कोई आग है जिसमे धुआं नही।

– निश्चय बाजपेई

QUIZ TIME

1) छत्तीसगढ़ में 'खेल' शब्द का बहुवचन क्या है?
2) 'धर के उसनना' मुहावरे का अर्थ क्या है?
3) 'दही के भारे हा.' कहावत के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए?
4) छत्तीसगढ़ी 'माढ़ी' शब्द का क्या अर्थ है?
5) छत्तीसगढ़ के किस दिव्यांग पर्वतारोही ने अफ्रीका के तंजानिया स्थित सबसे ऊँची पर्वत चोटी किलिमंजारो पर फतह हासिल की है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) सब्बो खेल (2) दंडित करना (3) कपसा खाये (4) घुटना (5) चित्रसेन साहू

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1781 - हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध। 1852 - सिन्ध के मुख्य आयुक्त सर बर्टलेफ्रेरे द्वारा सिफर सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए 'सिन्ध डाक' नामक डाक टिकट जारी किया गया। 1862 - कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन। 1879 - भारत में पोस्टकार्ड की शुरुआत। 1955 - इंपीरियल बैंक आफइंडिया का राष्ट्रीयकरण, इसे स्टेट बैंक आफ इंडिया का नाम दिया गया। 1960 - अफ्रीकी देश घाना को गणराज्य घोषित किया गया। 1962 - बिधान चंद्र रॉय का निधन। 1964 - भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1968 - अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और 59 अन्य देशों ने परमाणु हथियारों का प्रसार रोकने के लिए परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए। 1975 - तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम का ऐलान किया। 1991 - वारसा संधि भंग की गयी। 1995 - अमेरिका ने ताइवान के खिलाफ लागू प्रतिबंध हटाये। 1996 - विश्व में पहली बार आस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में इच्छा मृत्यु कानून लागू। 1997 - भारत की पहली साईंस सिटी कलकत्ता में खोली गई। 1997 - हांगकांग ने 156 वर्ष के ब्रिटिश शासन के बाद चीन का अधिकार स्वीकार किया। 2000 - लार्ड्स के 100वें ऐतिहासिक टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को हराया। 2006 - शतरंज खिलाड़ी परिमार्जन नेगी सबसे कम उम्र के दूसरे ग्रैंडमास्टर बने। 2017 - भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया।

टाइगर श्राफ ने हीरोपंती 2 के लिये तैयारियां शुरू की

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्राफ ने अपनी आने वाली फिल्म हीरोपंती 2 के लिये तैयारियां शुरू कर दी है। टाइगर श्रॉफइन दिनों अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी व्यस्त है। इन फिल्मों में से एक 'हीरोपंती 2' के लिये टाइगर ने तैयारियां शुरू कर दी है। टाइगर ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से दी है कि वह 'हीरोपंती 2'की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं।

टाइगर ने इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन के दौरान यह खुलासा किया। सेशन के दौरान टाइगर के फैंस में से एक ने उनसे उनके अगले प्रोजेक्ट के बारे में पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि अगला प्रोजेक्ट 'हीरोपंती 2' है।

तापसी पन्नू पर भड़कीं कंगना रनौत

मुंबई। कंगना रनौत ने एक बार फिर से तापसी पन्नू पर भड़ास निकाली है। कंगना का रिऐक्शन तापसी के रीसेंट कॉमेंट पर आया है। ट्विटर पर दोनों का ट्वीट वॉर पहले भी चर्चा में रह चुका है। अब कंगना ट्विटर पर नहीं हैं तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर तापसी के लिए काफी कुछ लिखा है। तापसी ने एक इंटरव्यू के दौरान कंगना को अपने लिए महत्वहीन बताया था। इस पर कंगना तापसी की 'औकात' तक पहुंच गई हैं। तापसी पन्नू और कंगना रनौत के बीच 'वर्बल वॉर' का किस्सा नया नहीं है। अब तापसी के रीसेंट स्टेटमेंट पर कंगना भड़क गई हैं। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर तापसी पन्नू से हमारे सहयोगी हिंदुस्तान टाइम्स के एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या वह कंगना को मिस करती हैं?

'बेटी नम्बर 1' का होगा वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर

मुंबई (वार्ता)। भोजपुरी अभिनेता यश कुमार - निधि झा की फिल्म 'बेटी नम्बर 1' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर बीफॉरयू भोजपुरी चैनल पर 03 और 04 जुलाई को होगा। फिल्म को लेकर यश कुमार ने अपने दर्शकों से ख़ास अपील की है और कहा है कि वे इस फिल्म को अपने घरों में पुरे परिवार के साथ जरुर देखें।

आलिया भट्ट ने 'डार्लिंग्स' की तैयारियां शुरू की

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने अपनी आने वाली फिल्म 'डार्लिंग्स' की तैयारियां शुरू कर दी है। आलिया ने हाल ही में संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की शूटिंग पूरी की है। अब इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद आलिया अपने नए प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गई हैं। आलिया की अगली फिल्म शाहरुख खान के होम प्रोडक्शन में बन रही 'डार्लिंग्स' है।

आलिया ने सोशल मीडिया पर इस फिल्म की स्क्रिप्ट हाथ में लिए हुए एक फोटो शेयर की है। आलिया ने इस फोटो के कैप्शन में लिखा, मेरी आज की डेट। बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक मां बेटी की कहानी है, जिनकी जिंदगी कई तरह के उतार-चढ़ाव भरे हालातों से गुजरती है। ये मां-बेटी की जोड़ी दुनिया में अपनी जगह बनाने की कोशिशों में किन हालातों से गुजरती है, फिल्म में यही दिखाया जाएगा।

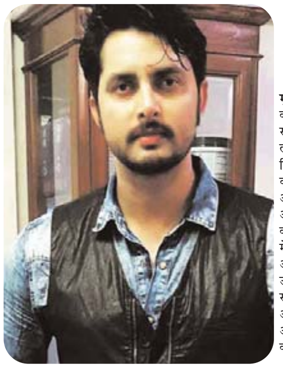

शानदार कांसेप्ट वाली फिल्म है अजनबी : विक्रांत सिंह राजपूत

मुंबई (वार्ता)। विक्रांत सिंह राजपूत ने कहा, ÷'अजनबी' एक शानदार कांसेप्ट वाली फिल्म है और इसे मशहूर अभिनेता अवधेश मिश्रा निर्देशित कर रहे हैं। उनके साथ काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फिल्म अजनबी लोगों को बहुत डराने वाली है। उन्होंने कहा बॉलीवुड और हॉलीवुड में कई हॉरर फिल्मे बनी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म को आप जरुर देखिये, क्योंकि बेहद खतरनाक फिल्म बन रही है। इसलिए मैं चाहूँगा- आपका प्यार और आशीर्वाद मिले। मुझे भेड़ चाल में चलना पसंद नहीं है यदि अच्छी स्क्रिप्ट और कहानी मिलेगी तो मैं काम करूँगा. और जिस तरह इन दिनों यह इंडस्ट्री कंटेंट प्रधान फिल्मों की ओर बढ़ी है,उससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मैं कई फ़िल्में कर सकूँगा। देव सिंह ने फिल्म अजनबी को लेकर निर्देशक अवधेश मिश्रा की जमकर तारीफकी और कहा कि सिर्फवही भोजपुरी फिल्म उद्योग को नयी दिशा दे सकते हैं, क्योंकि वे अपनी फिल्मों में सार्थकता और सकारात्मकता के साथ मनोरजन का अनूठा संगम लेकर आते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद है कि मुझे अवधेश मिश्रा जैसे गॉड फादर मिल गये, जो मेरे अंदर अभिनय के हर रंग को तलाश कर तराशने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा उनके विश्वास पर खड़ा उतरना होता है।

भोजपुरी अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत का कहना है कि उनकी आने वाली फिल्म अजनबी शानदार कांसेप्ट वाली फिल्म है और इस फिल्म में अवधेश मिश्रा के साथ काम करना उनके लिये सौभाग्य की बात है। निप्रम क्रिएशन के बैनर तले बन रही इमोशनल हॉरर फिल्म 'अजनबी' की शूटिंग इन दिनों जोर-शोर से देव भूमि उत्तराखंड में चल रही है। इस फिल्म से लंबे समय के बाद बिग बॉस और नच बलिये फेम अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत नजर आने वाले हैं।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट — पक्षकार का नाम श्रीमती अनिता यादव — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202106100400413

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती अनिता यादव पति श्री हरिशचंद यादव निवासी रुआबांधा सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	671/23	0.014 हें 1580 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट — पक्षकार का नाम श्रीमती चंचल पटेल — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202106100400388

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती चंचल पटेल पति श्री सुरेशचंद पटेल निवासी क्वा.नं. 27 ए जी पाकेट मरोदा सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	840/37	0.015 हें 1597.5 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट — पक्षकार का नाम श्री सुरेशचंद पटेल — ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202106100400387

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सुरेशचंद पटेल आ. स्व. खेदूराम पटेल निवासी क्वा.नं. 27 ए जी पाकेट मरोदा सेक्टर भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/ पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 तह. व जिला दुर्ग	840/35	0.015 हें 1642.5 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202106100400452

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती शांती चंद्राकर पति हरीश कुमार चंद्राकर निवासी तर्रा तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 843/24 रकबा हें/ 0.0220 हे. 2407 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 26.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202106100400470

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका एस. सुलेखा पति श्यामसुंदर निवासी बोरसी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 19/23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 272/29 रकबा 0.0110 हें/ 1139 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202106100400371

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मनीष कुमार ठाकुर आ. सच्चिदानंद ठाकुर निवासी सेक्टर 1 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 755/9 रकबा 0.020 हें/ 2100 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202106100400486

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका अंजनी महापात्र पति डी. महापात्र निवासी सिंधिया नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 17/7 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 649/2 रकबा 0.0460 हें/ 4950 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202106100400470

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री खेमराज साहू आ. डोमनलाल निवासी उतई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उतई प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 673/6 रकबा 0.0180 हें/ 2000 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 28.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-06/ वर्ष 2020-21

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राजेश सिंह आ. रामनारायण सिंह निवासी दीपक नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग के द्वारा अपने हक की क्रय शुदा भूमि ग्राम मालूद प.ह.नं. 02 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 203 रकबा 0.130 हे. भूमि को विक्रय पत्र के आधार पर विक्रेता रामभरोसा पिता भागबली अन्य 1 के नाम से पृथक कर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 14.07.2021 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 22.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./337/अ-06/वर्ष 2020-21

एतद् सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक चन्द्रकांत लहरे पिता परसराम लहरे जाति सतनामी निवासी एलआईबी 1844/45 कुरुद कैलाश नगर वार्ड 14 भिलाई जामुल जिला दुर्ग कृशक ग्राम उरईडबरी तहसील डोगरगढ़ जिला राजनांदगांव द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता परसराम लहरे पिता धरमसिह जाति सतनामी के नाम से ग्राम उरईडबरी में कुल ख.न. 03 कुल रकबा 0.441 हे. भूमि स्थित है। आवेदक के पिता परसराम लहरे पिता धरमसिंह जाति सतनामी की फौती इन्द्राज कर उनके वैध वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने का निवेदन किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को उजर या आपत्ति हो तो वह ईश्तहार प्रकाशन दिनांक 15.07.2021 के भीतर प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समयावधि बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार डोंगरगढ़ (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

मा.क्रं. 202106100900109

विषयः अ-74 — वर्ष 2020-21

तुलसी प.ह.न.00018(372(0.9400 हे.)

पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- शिशुपाल सतनामी

अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम तुलसी प.ह.न. 18 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदकगण श्री शिशुपाल पिता कलीराम अन्य निवासी ग्राम सरोना रायपुर द्वारा ग्राम तुलसी प.ह.न. 18 तहसील पाटन स्थित अपने नाम नाम दर्ज शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि खसरा नं. 372 रकबा 0.94 हे. का मूल ऋण पुस्तिका गुम जाने से द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाए किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदकगण श्री शिशुपाल पिता कलीराम द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 16.07.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 29.06.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

मा.क्रं. 202106100900107

विषयः अ-74 — वर्ष 2020-21

तुलसी प.ह.न.00018(389(0.7100 हे.)

पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- शत्रुहन देशलहरे

अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम तुलसी प.ह.न. 18 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री शत्रुहन देशलहरे पिता कली निवासी ग्राम सरोना टाटीबंध रायपुर द्वारा ग्राम तुलसी प.ह.न. 18 तहसील पाटन स्थित अपने नाम नाम दर्ज शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि खसरा नं. 389 रकबा 0.71 हे. का मूल ऋण पुस्तिका गुम जाने से द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाए किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदक श्री शत्रुहन देशलहरे पिता कली द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 16.07.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 29.06.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

मामले की श्रेणी-राजस्व

ईश्तहार

मा.क्रं. 202106100900108

विषयः अ-74 — वर्ष 2020-21

तुलसी प.ह.न.00018(388(0.7100 हे.)

पक्षकारों का विवरणः आवेदक पक्षकार- मंगलू देशलहरे

अनावेदक पक्षकार-

एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम तुलसी प.ह.न. 18 तहसील पाटन जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्री मंगलू देशलहरे पिता कली निवासी ग्राम सरोना टाटीबंध रायपुर द्वारा ग्राम तुलसी प.ह.न. 18 तहसील पाटन स्थित अपने नाम नाम दर्ज शासकीय पट्टे से प्राप्त भूमि खसरा नं. 388 रकबा 0.71 हे. का मूल ऋण पुस्तिका गुम जाने से द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाए किए जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण विचाराधीन है।

अतः आवेदक श्री मंगलू देशलहरे पिता कली द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर उपरोक्त भूमि का आवेदक को द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका प्रदाय किए जाने की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 16.07.2021 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 29.06.2021 को जारी किया गया है।

मुहर — तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक भिलाल सिंह आ. स्व. खेमलाल उर्फ चेतन निवासी बोहारडीह तहसील पाटन जिला दुर्ग के द्वारा आवेदन पेश किया है कि खातेदार खेमलाल उर्फ चेतन की फौत हो जाने के कारण फौती दर्ज किए जाने हेतु आवेदन किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 19.07.2021 को स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा/आपत्ति पेश कर सकते है। बाद प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं होगा।

आज दिनांक 30.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक बाबूलाल उर्फ चिन्ताराम आ. प्यारीराम निवासी खम्हरीया तहसील पाटन जिला दुर्ग के द्वारा आवेदन पेश किया है कि उनके नाम शामिलात खाते में ग्राम खम्हरीया प.ह.न. 40 तहसील पाटन जिला दुर्ग में खसरा नं. क्रमशः 81, 122, 172/1 रकबा क्रमशः 0.13, 0.09, 0.08 हे. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक में बाबुलाल पटेल आ. प्यारी दर्ज है। उनके द्वारा राजस्व अभिलेख में बाबुलाल उर्फ चिन्ताराम पिता प्यारीलाल दर्ज किए जाने हेतु आवेदन किया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 19.07.2021 को स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा/आपत्ति पेश कर सकते है। बाद प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं होगा।

आज दिनांक 28.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक कृष्णकुमार शर्मा आ. पुरुषोत्तम शर्मा निवासी राखी तहसील पाटन जिला दुर्ग के द्वारा आवेदन पेश किया है कि उनके भाई गोविंद आ. पुरुषोत्तम के नाम हक एवं स्वामित्व खाते में मौजा राखी प.ह.न. 20 तहसील पाटन जिला दुर्ग में भूमि कुल खसरा नं. 09 रकबा 8.07 हे. लगान 19.31 रुपए है। आवेदक के भाई गोविंद आ. पुरुषोत्तम की अविवाहित मृत्यु दिनांक 26.06.2013 को हो जाने से उक्त खाते की भूमि से नाम विलोपित किए जाने हेतु आवेदन किया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 16.07.2021 को स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा/आपत्ति पेश कर सकते है। बाद प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं होगा।

आज दिनांक 30.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि देवकी बाई नेताम पिता स्व. सुखीराम ग्राम सेलूद तहसील पाटन जिला दुर्ग के द्वारा आवेदन पेश किया है कि ग्राम सेलूद प.ह.न. 27 तहसील पाटन की भूमि कुल खसरा नं. 04 कुल रकबा 1.418 जो कि चंदूलाल आ. सुखीराम एवं अन्य 06 के नाम दर्ज है। उसमें देवकी बाई पिता सुखीराम का नाम जोड़ने आवेदन किया है।

उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को दावा/आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 12.07.2021 को स्वतः या अपने अधिवक्ता के माध्यम से दावा/आपत्ति पेश कर सकते है। बाद प्राप्त दावा/आपत्ति स्वीकार नहीं होगा।

आज दिनांक 28.06.2021 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार भिलाई-03

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /00055/अ-6/2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका धनेश्वरी हरमुख पिता/पति लिकेश्वर हरमुख निवासी चरोदा ने ग्राम चरोदा प.ह.नं. 57 रा.नि.मं. भिलाई-03 तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) में स्थित भूमि खसरा नं. 354/3 रकबा 0.408 हे. को विक्रय पत्र के आधार पर भूमि स्वामी अजय, भूपेन्द्र, लक्ष्मी साहू पिता/पति त्रिभुवन साहू का नाम विलोपित कर अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पेश किया है।

जिसकी सुनवाई न्यायालय में दिनांक 14.07.2021 नियत है। अतः जो कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था उपरोक्त वर्णित संपत्ति में हित रखते हैं, नियत तिथि को दिन में 11:00 बजे या उसके पूर्व अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में स्वयं या अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी आपत्ति/ दावा पेश कर सकते हैं। नियत तिथि के उपरांत दावा/ आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16.06.2021 को जारी।

नायब तहसीलदार भिलाई-3, जिला दुर्ग

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

राजस्व प्रकरण क्र. अ/6 वर्ष 2020 21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती शीना जिट्टू चेरी आ. जिट्टू सी. चेरी साकिन भिलाई द्वारा भूमि रिसाली प.ह.नं. 22 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 1031/32 रकबा 0.01 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता ललित किशोर पाण्डे आ.नवल किशोर से क्रय किया गया है, की नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 30.06.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

राजस्व प्रकरण क्र. अ/6 वर्ष 2020 21

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक आशिमा रोनाल्ड आ. रोनाल्ड कुमार राव साकिन भिलाई द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख.नं. 257/231 रकबा 0.002 हे. को रजिस्टर्ड बैनामा के माध्यम से विक्रेता मो. जाकिर कुरैशी आ.----- कुरैशी से क्रय किया गया है की नामान्तरण किये के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि 30.06.2021 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग

उद्घोषणा

पंजी.नं.-202106100400422

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रूपेश कुमार साहू आ. स्व. रामसिंह साहू निवासी संबलपुर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-धनोरा प.ह.नं. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 739/12 रकबा 0.011 हे./1205 वर्गफीट आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग. भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग

उद्घोषणा

पंजी.नं.-202106100400421

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका वर्षा साहू पति कमलेश्वर साहू निवासी धनोरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-धनोरा प.ह.नं. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 296/13 रकबा 0.013 हे./1365 वर्गफीट आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग. भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग

उद्घोषणा

पंजी.नं.-202106100400420

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका वर्षा साहू पति कमलेश्वर साहू निवासी धनोरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम-धनोरा प.ह.नं. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 739/11 रकबा 0.011 हे./1205 वर्गफीट आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग. भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 25.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

प्र.क्र.-202106100600095

एतद् द्वारा सर्व आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक आई. रवि कुमार आ. आई. चन्द्रशेखर, निवासी-32, गोकुल चौक डाक बंगला वार्ड नं. 66 पुरैना भिलाई-3, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा अपने भूमि स्वामित्व की भूमि ग्राम उमदा प.ह.नं. 01, रा.नि.मं. भिलाई-03, तहसील पाटन व जिला दुर्ग की स्थित भूमि खसरा नं. 906/32 रकबा 0.0166 हे. अर्थात 1781 वर्गफीट भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन किये जाने हेतु आवेदन पत्र छ.ग. भू.रा. संहिता 1959 की धारा 172 एवं धारा 59 पुनिर्धारण के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति या संस्था को उक्त भूमि के संबंध में दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति या संस्था को उक्त भूमि के संबंध में दावा आपत्ति हो तो स्वयं या अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से नियत दिनांक 06.07.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति पेश कर सकते हैं। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.06.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर लगाकर जारी किया गया।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) पाटन जिला दुर्ग

अमाड पंचायत के डबरी निर्माण में फर्जीवाड़ा की शिकायत पर कार्यवाही नहीं

नव प्रदेश संवाददता

देवभोग न्यूज़। एक ओर अमाड़ पंचायत के कई मजदूरों को रोजगार गारंटी के तहत मजदूरी नहीं मिल पाया। तो वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारों ने डबरी निर्माण में जमकर फर्जीवाड़ा को अंजाम देने का शिकायत सामने आ रहा है ।फिर भी ग्रामीणों की शिकायत पर अब तक कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिला है ।ग्रामीणों के मुताबिक गणेश पिता दुर्बल के निजी डबरी पर 22 जून से पहले बिना काम किए करीब 56 मजदूरों का फर्जी तरीके से मस्टररोल भरा गया। इसके साथ अंतिम सप्ताह पर भी फर्जी किया गया । और यह फर्जीवाड़ा की पुष्टि डबरी कार्य को देख आसानी से किया जा सकता है ।क्योंकि स्वीकृत लागत अनुसार बिल्कुल भी कार्य नहीं हो पाया है। सबसे खास बात तो यह है कि घर बैठे अधिकांश लोगों को मजदूरी मिल गया। लेकिन जो मजदूर मजदूरी के लिए प्रतिनिधियों के

समक्ष गुहार लगाते रहे ।उन्हें काम नहीं मिल पाया ।लेकिन निजी लाभ के लिए जिम्मेदारों ने डबरी कार्य में जमकर फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया है ।जिस से नाराज ग्रामीणों द्वारा आए दिन पंचायत प्रतिनिधियों को जमकर खरी-खोटी सुनाकर अधिकारियों के समक्ष मौखिक शिकायत भी दर्ज कराया है। लेकिन अफसोस की बात है कि मजदूरों को मजदूरी दिलाने और फर्जीवाड़ा के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिला। यही कारण है कि ग्रामीणों में खासी नाराजगी देखने को मिल रहा है ।आपको बता दें कि मनरेगा अंतर्गत संचालित कार्य के दौरान कई मजदूर काम के लिए दर-दर भटकते रहे जिसे लेकर नवप्रदेश ने प्रमुखता के साथ मामला उजागर किया रहा। मगर मजदूरों को मनरेगा अंतर्गत कार्य देने की जगह अंतिम समय में मजदूरों को मजदूरी देने की जगह मजदूरों का हक छीन कर जिम्मेदार अपनी जेब को प्राथमिकता दिया ।यही कारण है कि अधिकांश मजदूरों को निर्धारित दिवस की मजदूरी नहीं मिल पाया जिसके चलते अब मजदूर के पास पलायन करने की स्थिति निर्मित हो गई है।

> मामले की शिकायत अब तक नहीं आई है फिर भी अगर फर्जीवाड़ा किया गया है तो जांच कर कार्यवाही किया जाएगा।
>
> - शिव कुमार नारंग
> पीओ

खरोरा आजाद चौक में फारेस्ट विभाग की बड़ी कार्यवाही

खरोरा (नव प्रदेश)। 15 लाख रुपये की कीमत के 2 दुर्लभ प्रजाति के कछुए के साथ फारेस्ट वीभग ने 2 तस्करों को पकड़ा ।जिसमे मुंख्य आरोपी नोहर यादव पिता शंकर यादव निवासी महासमुंद, अर्जुन विश्वकर्मा पिता द्वारिका विश्वकर्मा निवासी बेमचा महासमुंद को दो नग जिंदा कछुआ की तस्करी के लिए पकड़ा व उनको काष्ठागार खरोरा लाया। वाइल्ड लाइफट्रस्ट ऑफइंडिया को ही ग्राहक समझ कर रहे थे संपर्क। वाइल्ड लाइफट्रस्ट ऑफइंडिया एक भारतीय प्रकृति संरक्षण संगठन है जो वन्यजीवों और उनके निवास स्थान का संरक्षण करने और व्यक्तिगत जंगली जानवरों के कल्याण के लिए काम करता, उस संस्था को यह तस्कर ग्राहक समझ संपर्क करने लगे , जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना फारेस्ट विभाग को दी जहाँ फारेस्ट विभाग ने ग्राहक बन उनसे बात की व खरोरा आने को बोला जिसके बाद आजाद चौक खरोरा से दो मोटरसाइकिल को भी बरामद किया गया। शेर की हत्या वाली धारा लगाई गई आरोपियों पर धारा 39(3) , 49 ,50 वाइल्ड लाइफ अधिनियम 1972 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है । ये धारा शेर की हत्या करने पर भी लगाई जाती है ।

सौरभ ने पीसीसी अध्यक्ष को दी शुभकामनाएं

खरोरा (नवप्रदेश)। छतीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर, ब्लॉक कांग्रेस कमेंटी खरोरा के अध्यक्ष सौरभ मिश्रा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यलय राजीव भवन में प्रदेशाध्यक्ष से सौजन्य भेंट कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खरोरा के तरफसे बधाई व शुभकामनाएं प्रदान की।

सचिवों का ट्विटर अभियान

खरोरा (नव प्रदेश)। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव संघ के प्रांताध्यक्ष तुलसी साहू के नेतृत्व में सचिवों ने चलाया महा ट्विटर अभियान। जिसमे सचिवों की सिर्फएक ही मांग है कि हमें भी अन्य कर्मचारियों की भांति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण का लाभ दिया जाय। ज्ञात हो कि पूरे छत्तीसगढ़ में पिछ्ले 26 साल सचिव एक ही पद पर 29 विभाग का कार्य करते हुए आ रहे हैं, जबकि सचिवों के द्वारा नियुक्त शिक्षा गारंटी गुरुजी और संविदा शिक्षक आज शासकीय कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर कई तरह की सुविधा पा रहे हैं। सचिवों को परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीय करण किए जाने को लेकर सता पक्ष और विपक्ष के विधायकों सहित केबिनेट मंत्री भी सचिवों के मांग के समर्थन में सीएम और पंचायत मंत्री के नाम समर्थन पत्र लिखकर दिए हैं,जिसे लेकर संघ द्वारा पिछ्ले दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के दौरान कुल 28 दिन का हड़ताल भी किया गया था। बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ÷दिसंबर 2021 तक मांग पूरा किए जाने के आश्वासन ÷के बाद हड़ताल समाप्ति की घोषणा की गई थी! इसी आश्वासन को याद दिलाने के उद्देश्य से दिनांक 29 जून 2021 को छ्त्तीसगढ़ के 11664 सचिव सीएम और पंचायत मंत्री को ट्विट कर अपनी एक सूत्रीय मांग को पूरा कराने के लिए अभियान चलाया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना आरंभ करें

कोरोना के तीसरी लहर की दस्तक को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी रखें : कलेक्टर

- जनसामान्य की शिकायतों का निराकरण प्राथमिकता से करें
- साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक आयोजित

नव प्रदेश संवाददाता

राजनांदगांव। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, इसे गंभीरता से लें। महाराष्ट्र में पाये गये कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियेंट के खतरे को देखते हुए बागनदी बार्डर में महाराष्ट्र से आने वाले व्यक्तियों का सैम्पलिंग लगातार होना चाहिए। सभी एसडीएम अपने अनुविभाग में हॉस्पिटल, मरम्मत, चाईल्ड वार्ड, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैयारी, ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव बनाकर प्राथमिकता से दें, ताकि शासन को भेजा जा सके। स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करने जरूरत है। उक्त बातें कलेक्टर श्री सिन्हा ने साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक में कही। इस अवसर पर उन्होंने साप्ताहिक समय-सीमा के आवेदनों की गहन समीक्षा की।

कलेक्टर श्री सिन्हा ने टीकाकरण कार्य सफलतापूर्वक होने पर जिला प्रशासन की टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आगे भी टीकाकरण का कार्य जारी रहेगा। जिसे एकजुटता एवं ऊर्जा से करना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना आरंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज का कार्य शुरू करें। उन्होंने कहा कि सीमांकन, नामांकन एवं बटवारें के प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय में करें, ताकि जनसामान्य को भटकना न पड़े। उन्होंने कहा कि सभी विभाग प्रमुख अपने कार्यालय में साफ-सफाई एवं स्वच्छता रखें। उन्होंने कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को बारिश के बाद सभी कार्यालयों की पोताई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसामान्य की शिकायतों का निराकरण शासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आम जनता के आवेदनों पर संवेदनशील रूख अपनाते हुए सजगता एवं तत्परता से गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करें। सभी जिला स्तरीय अधिकारी जमीनी स्तर पर कार्यों का निरीक्षण करें।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि 1 जुलाई से रोका-छेका अभियान प्रारंभ हो रहा है इसके लिए विकासखंड स्तर पर तैयारी आरंभ कर दें। सभी नोडल अधिकारी व्यवस्था बनाएं। पशुओं के टीकाकरण के साथ उन्हें चारा खिलाने तथा अन्य व्यवस्था का निरीक्षण करें। गोधन न्याय योजना के लिए एसडीएम की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। सभी जनपद सीईओ एवं कृषि विभाग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। खरीदे गए गोबर से वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में तेजी लाएं। इस कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नगरीय क्षेत्रों में भी वर्मी कम्पोस्ट निर्माण की गति बढ़ाएं। उन्होंने छुईखदान एवं छुरिया विकासखंड में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के लिए अच्छा कार्य होने पर प्रशंसा की। कलेक्टर ने कहा कि मॉडल गौठान को मल्टीएक्टीविटी केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना है।

डिस्ट्रीक मोबिलाईजेशन को-ऑर्डिनेटर की नियुक्ति

गरियाबंद (नव प्रदेश)। यूनिसेफकी ओर से गरियाबंद जिले में कोरोना वायरस के प्रति अनुरूप व्यवहारों एवं कोविड-19 टीकाकरण में वृद्धि हेतु श्री तेजराम सारथी को डिस्ट्रीक मोबिलाईजेशन को-ऑर्डिनेटर नियुक्ति किया गया है। कलेक्टर श्री निलेशकुमार क्षीरसागर ने जिले में कोविड-19 संक्रमण से बचाव,रोकथाम व कोरोना टीकाकरण अभियान समुदाय में जागरूकता व प्रगति लाने के लिए समस्त विभाग से सहयोग की आपेक्षा की है। साथ ही सभी अधिकारियों को कोविड-19 व कोविड टीकाकरण में वृद्धि हेतु श्री तेजराम सारथी को विभाग की ओर से आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने कहा है।

शासकीय कालेज में विधायक ने किया हेल्पडेस्क उद्घाटन व मंच अनावरण

बेमेतरा (नव प्रदेश)। बेमेतरा विधायक आशीष छाबड़ा ने शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सिंगल विंडो हेल्पडेस्क का उद्घाटन सहित मां सरस्वती एवं पंडित जवाहरलाल नेहरु की प्रतिमा मंच जीर्णोद्धार कार्य का अनावरण किया। विधायक आशीष छाबड़ा ने महाविद्यालय जनभागीदारी समिति द्वारा कराए गए कार्यों पर संतोष व्यक्त करते हुए अपनी ओर से बधाई दी। साथ ही महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम का भी उद्घाटन कर विधायक ने महाविद्यालय परिवार को शुभकामनाएं दी।

बेमेतरा वार्ड 11 में बढ़ चढ़कर लगा रहे कोरोना टीका

बेमेतरा (नव प्रदेश)। कोरोना संक्रमण की द्वितीय लहर के बाद अब लोगों में टीका के प्रति लगातार उत्सुकता बढ़ती जा रही हैं। साथ ही शहर के साथ अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस टीकाकरण अभियान में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई संस्थाओं, सामाजिक संगठनों द्वारा वैक्सीनेशन हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच बेमेतरा नगर के वार्ड क्रमांक 11 बाबा रामदेव वार्ड में कुल 130 लोगो क़ा टीकाकरण हुआ। जिसमे कृष्णा विहार में 60 व गंजपारा आंगनबाड़ी में 70 लोगो क़ा टीकाकरण हुआ। नीतू कोठारी ने बताया कि वार्ड ही नहीं अपितु पूरे जिले में वैक्सीनेशन शत-प्रतिशत हो इसके लिए हम सभी युवाओं को आगे आना होगा व मैं सभी युवाओं से अपील करती हूं कि आओ वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में भाग लेकर भारत को कोरोना तीसरी लहर से बचायें। इस टीकाकरण में नगर पालिका बेमेतरा, स्वास्थ्य विभाग बेमेतरा, मितानिन वर्षा शर्मा, मिथलेश चक्रधारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा पाठकर, क्षमा साहू क़ा विशेष सहयोग रहा।

पुलिस विभाग का धरपकड़ अभियान जारी

- लगभग पचास लीटर देशी मदिरा हुयी जप्त
- सट्टा पट्टी लिखते दो आरोपी भी आए पुलिस की गिरफ़्त में

नव प्रदेश संवाददाता

ख़रोरा। उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय यादव के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तारकेश्वर पटेल व सीएसपी विधानसभा श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में अवैध कार्य करने वालों के ख़िलाफ़ खरोरा पुलिस क़ा अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। आज आबकारी अधिनियम के चार मामलों में छह शराब कोचियों पर कार्यवाही की गयी।1.थाना ख़रोरा में मुखबिर सूचना के आधार पर ख़रोरा के मंगल भवन के पास अवैध शराब बिक्री करते आरोपी योगेश धीवर पिता लीलाधर धीवर आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम कनकी को पकड़ा गया, आरोपी के पास से 20 पौव्वा देशी मदिरा मसाला क़ीमती लगभग 1800/ रुपए बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 269/21 धारा 34(1) आबकारी अधिनियम तहत पंजिबद्ध कर कार्यवाही किया गया।2.थाना ख़रोरा में शीतला तालाब के पास अवैध शराब बेचते आरोपी ओमप्रकाश सूर्यवंशी पिता खेलावन सूर्यवंशी आयू 28 वर्ष निवासी करियादामा ख़रोरा को पकड़ा गया।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

भिलाई संयंत्र में नौ....
का अंशिक असर बताया है। यूनियन के साथ इस हड़ताल में कोरोना संक्रमण काल मे मृत पांच भिलाई सयंत्र कर्मियो के परिजन भी शामिल है।

हड़ताल के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए बड़ी संख्या में राज्य पुलिस एवं केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती की गई हैं।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव सुबह से ही पुलिस टीम के साथ डटे हुए है।यूनियन नेता विनोद सोनी ने आरोप लगाया हैं कि प्रबन्धन फोन पर धमकी देकर कर्मियो को काम पर जबदस्ती बुला रहा है।

16 राज्यों के गांवों में...
को छोड़कर सभी DISCOMs/ Power विभागों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ-साथ उनके परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इस नई योजना का outlay 3,03,758 करोड़ रुपये होगा, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 97,631 करोड़ रुपये ग्रॉस बजटरी सपोर्ट के तौर पर दी जाएगी।

कोरोना से मौत पर....
करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तैयार करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड पीड़ितों को अनुग्रह राशि सहित राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है। अनुग्रह राशि प्रदान न करके एनडीएमए अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है। कोर्ट ने केंद्र को कोरोना पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा कि पीड़ितों को कितनी राशि दी जाए। 6 हफ्ते में गाइडलाइन तैयार की जाएगी।

कोविड से हुई मौत पर चार लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत के लिए ये वाजिब नहीं है कि वो सरकार को एक निश्चित राशि का मुआवजा देने के आदेश दे।

राहुल ने कोरोना मृतक....
पोस्ट की जिसमें कहा गया, ÷कोरोना से मौत पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा, कोर्ट का आदेश, राशि तय करे सरकार, छह हफ्ते में गाइडलाइन बनाएं।

गुड न्यूज..बच्चों पर....
जानकारी के मुताबिक संक्रमित होने वाले बहुत ही कम बच्चों को कभी-कभी अस्पताल में एडमिट करने की जरुरत पड़ती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अगर पूर्ण रुप से स्वस्थ बच्चों को यह संक्रमण होता भी है तो उनकी हल्की तबीयत खराब होती है और वो बिना अस्पताल गए जल्दी ठीक हो जाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिन बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की जरुरत पड़ी थी उन्हें इम्यूनिटी की कमी थी जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था।

सीए परीक्षा से....
और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी शामिल हैं। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि परीक्षा से हटने के अनुरोध के साथ परिवार के सदस्यों के लिए किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिक्रेट पेश किया जाता है तो उम्मीदवार को आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं है।

कई जिलों के एसपी...
अधीक्षक बालोद को पुलिस अधीक्षक बस्तर, प्रशांत कुमार अग्रवाल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को पुलिस अधीक्षक दुर्ग, सुश्री पारूल माथुर पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा को पुलिस अधीक्षक गरियाबंद, केएल ध्रुव पुसिल अधीक्षक सुकमा को सेनानी दूसरी वाहिनी छसबल सकरी बिलासपुर, अमित तुकाराम काम्बले सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर को पुलिस अधीक्षक सरगुजा, अभिषेक मीणा पुलिस अधीक्षक कोरबा को पुलिस अधीक्षक रायगढ़, सदानंद कुमार सेनानी 16 वाहिनी छसबल नारायणपुर को पुलिस अधीक्षक बालोद, गिरजाशंकर जायसवाल सेनानी 13 वाहिनी छसबल कोरबा को पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा रायपुर, अरविंद कुजुर पुलिस अधीक्षक मुगेंली को पुलिस अधीक्षक बेमेतरा, संतोष कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को पुलिस अधीक्षक कोरिया, आशुतोष सिंह सेनानी 4थीं वाहिनी छसबल माना रायपुर को सेनानी 13वीं वाहिनी छसबल कोरबा, मोहित गर्ग पुलिस अधीक्षक नारायणपुर को पुलिस अधीक्षक कवर्धा, भोजराज पटेल पुलिस अधीक्षक गरियाबंद को पुलिस अधीक्षक कोरबा, जितेन्द्र शुक्ला सेनानी 17वीं वाहिनी छसबल कवर्धा को सेनानी 16वीं वाहिनी छसबल नारायणपुर, शलभ कुमार सिन्हा पुलिस अधीक्षक कवर्धा को पुलिस अधीक्षक कांकेर, श्रीमती भावना गुप्ता सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर को पुलिस अधीक्षक सूरजपुर, चन्द्रमोहन सिंह पुलिस अधीक्षक कोरिया को सेनानी 4थीं वाहिनी छसबल माना रायपुर, दिव्यांग कुमार पटेल पुलिस अधीक्षक बेमेतरा को पुलिस अधीक्षक महासमुंद, सूरज सिंह पुलिस अधीक्षक गौरेला पेण्ड्रा मरवाही को राज्यपाल के परिसहाय राजभवन रायपुर, यू उदय किरण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायणपुर को पुलिस अधीक्षक नारायणपुर, त्रिलोक बंसल राज्यपाल के परिसहाय राजभवन रायपुर को पुलिस अधीक्षक गौरेला पेण्ड्रा मरवाही, प्रशांत कुमार ठाकुर पुलिस अधीक्षक दुर्ग को पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा, राजेश कुकरेजा पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को पुलिस अधीक्षक (रेल) रायपुर, बीपी राजभानु पुलिस अधीक्षक धमतरी को सेनानी 12वीं वाहिनी छसबल रामानुजगंज, एमआर अहीरे पुलिस अधीक्षक कांकेर को सेनानी 7वीं वाहिनी छसबल भिलाई, विजय अग्रवाल सेनानी 7वीं वाहिनी छसबल भिलाई को पुलिस अधीक्षक रायपुर, शशि मोहन सिंह सेनानी 9वीं वाहिनी छसबल दंतेवाड़ा को सेनानी 5वीं वाहिनी छसबल जगदलपुर, आजाद शत्रु बहादूर सेनानी 5वीं वाहिनी छसबल जगदलपुर को सेनानी 9वीं वाहिनी छसबल दंतेवाड़ा, टीआर कोसिमा पुलिस अधीक्षक सरगुजा को सेनानी 17वीं वाहिनी छसबल कवर्धा, दुखुराम आंचड़ा सेनानी 12वीं वाहिनी छसबल रामानुजगंज को पुलिस अधीक्षक मुंगेली, सुनील शर्मा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अम्बिकापुर को पुलिस अधीक्षक सुकमा, अंकिता शर्मा नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) बस्तर, अंजनी वार्ष्णेय नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) सुकमा। यदुवेल्ली अक्षय कुमार नगर पुलिस अधीक्षक उरला रायपुर को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन) नारायणपुर, प्रफुल्ल ठाकुर पुलिस अधीक्षक महासमुंद को पुलिस अधीक्षक धमतरी, जेआर ठाकुर पुलिस अधीक्षक (रेल) रायपुर को सहायक पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय रायपुर भेजा गया है।

सैन्य ठिकानों पर.....
हमलों से निपटने के लिए भारत जल्द ही ऐसे सैन्य साजोसामान जोड़ने वाला है उनमें रेडियो प्रीक्वेंसी डिटेक्टर, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरे, रडार, ड्रोन को पकड़ने वाले जाल, जीपीएस, लेजर, और आरएफ जैमर जैसी सुविधाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में फ़ैसला हुआ कि सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में पंजाब और जम्मू-कश्मीर आता है, उसे महफूज़ किया जाएगा।

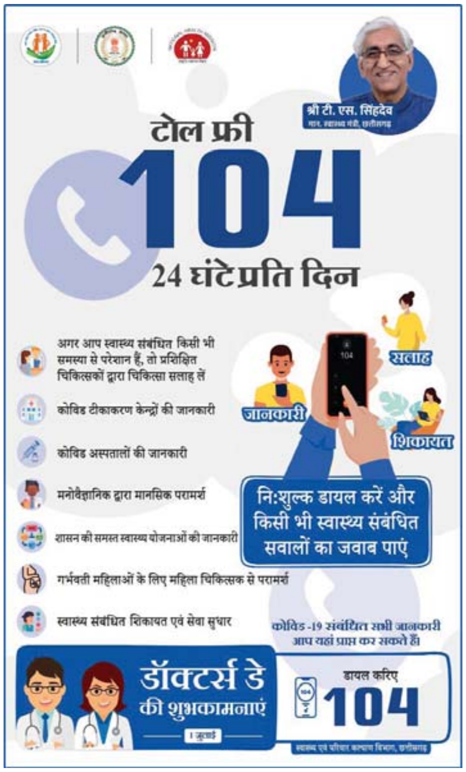

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

जेल जाने वाले जनपद सदस्य ने परिवार सहित गवाह को धमकाया

10 लोगों के खिलाफ बलवा व मारपीट का केस दर्ज

■ सरेआम खंभे में बांधकर की पिटाई

नव प्रदेश संवाददाता

बालोद। बालोद के देवरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेवरतला रोड में जनपद सदस्य राजेश साहू व उनके परिवार के लोगों द्वारा गुंडागर्दी बरते जाने का मामला सामने आया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जिसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह जनपद सदस्य व उनके अन्य साथी व परिवार के सदस्य गांव के छक्कन साहू को खंभे में बांधकर पीट रहे हैं। इस दौरान किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर उन्हें छुड़ाए। पूरा मामला 30 जून कि सुबह 9:30 बजे का है। जब मामला बिगड़ने लगा तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम वहां पहुंची तो लोग वहां से भागे।

इस मामले में देवरी पुलिस ने छक्कन साहू की पत्नी प्रार्थीया सावित्री बाई साहू निवासी जेवरतला की शिकायत पर कुल 10 लोगों के खिलाफ बलवा व मारपीट की धारा 147, 149, 452, 294, 506, 323 के तहत राजेश साहू उनकी पत्नी, तूलेश्वर साहू व उनकी पत्नी, राजेश की मां, नरेंद्र व उनकी पत्नी किरण साहू, डिलेश साहू, मान सिंह साहू हिलेश्वरी साहू के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। चूंकि मामले में प्रार्थीया एक महिला है व घटना में कई महिलाएं भी शामिल है। इसलिए इस मामले की जांच महिला सेल बालोद की निरीक्षक पदमा जगत ने की। वही आरोपी पक्ष की ओर से भी काउंटर केस दर्ज करवाया जा रहा है। बताया जाता है कि मामला पुराने पॉक्सो एक्ट छेड़खानी के मामले में जनपद सदस्य की गिरफ्तारी से उपजा विवाद है। लगभग दो ढाई साल पहले जनपद सदस्य राजेश साहू को एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में जेल जाना पड़ा था। उस केस में छक्कन साहू द्वारा गवाही दी जा रही है और इसी बात का खुन्नस निकालते हुए जमानत पर बाहर हुए राजेश साहू के द्वारा परिवार सहित उस पर हमला किया गया। कहा गया कि तुम्हारी गवाही के कारण मुझे जेल जाना पड़ा है। पुलिस जांच में पाया गया कि छक्कन को पहले आरोपियों के द्वारा घर में घुसकर लात घुसे मुक्के व डंडे से मारपीट किया गया इस बीच उसकी पत्नी छुड़ाने आई तो नीचे गिरा दिया और प्रार्थीया के कपड़े फाड़ने सहित पुराने पाक्सो एक्ट के प्रकरण में शिकायतकर्ताओं का साथ देने की बात को लेकर जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रार्थीया के पति को आरोपियों द्वारा घर से घसीटते हुये बीच सड़क में ले जाकर मारपीट करने लगे खंभे एवं रस्सी से बांध कर चप्पल लात घुसे डंडे से मारपीट करने लगे गांव वालों को नजदीक आने पर सभी को जलाकर मार देने की धमकी देने लगे।

■ न्यूज गैलरी

दो नाबालिग बहनो ने कर दी पिता की टंगिया से मारकर हत्या

राजनांदगांव (नव प्रदेश)। जिला के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम भगवान टोला में दो नाबालिग बहनों ने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। अंबागढ़ चौकी पुलिस द्वारा मामले की जांच चल रही है। अंबागढ़ चौकी थाना प्रभारी आशीर्वाद रहटगांवकर से मिली जानकारी के अनुसार बेलरगोंदी में एक अधेड़ की दो बहनों ने मिलकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर मृतक सहदेव पिता रायसिंह नेताम उम्र 45 वर्ष निवासी भगवान टोला की दो बेटियों ने मिलकर सहदेव नेताम की हत्या कर दी। पंचनामा पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक सहदेव नेताम शराब का आदी था, जो शराब सेवन करने के बाद आए दिन अपनी पत्नी व अपने बच्चों को मारता-पीटता था। मंगलवार शाम लगभग 7 बजे के आसपास सहदेव नेताम अपनी पत्नी को मारने के लिए टंगिया उठाया था, जिसमें उसकी दोनों बेटियों ने बीच-बचाव कर अपनी मां को बचाया। उसके बाद दो नाबालिग बेटियों ने पिता से तंग आकर टंगिया से गोद.गोद कर हत्या कर दी।

जितेंद्र मीणा का हुआ बस्तर तबादला, अब बालोद के एसपी होंगे सदानंद कुमार

बालोद (नव प्रदेश)। शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के कई जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। इस क्रम में बालोद जिला भी प्रभावित हुआ है।बालोद जिले के वर्तमान एसपी जितेंद्र मीणा को बस्तर का एसपी बनाया गया है। तो वहीं उनकी जगह पर नारायणपुर से आईपीएस सदानंद कुमार की पोस्टिंग बालोद एसपी के रूप में हुई है। जो वर्तमान में 16 वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल नारायणपुर सेनानी में कमाण्डेन्ट के रूप में पदस्थ हैं। ज्ञात हो कि पिछले कुछ हफ्तों से छत्तीसगढ़ में एसपी के तबादलों को लेकर चर्चा थी । आज आदेश भी जारी हो गया। सदानंद कुमार इसके पहले सरगुजा, अंबिकापुर बलरामपुर में भी एसपी रह चुके हैं। वे जहां भी पोस्टिंग रहे शहर कम्युनिटी पुलिसिंग पर फोकस करते रहे हैं। सदानंद कुमार बिहार के भागलपुर जिले के निवासी हैं। वे 2010 के बैच छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। उनकी पहली पदस्थापना बलोदा बाजार एसपी के रूप में हुई थी। इसके बाद वे क्रमशः नक्सल ऑपरेशन सुकमा बलरामपुर तथा पुलिस अकैडमी चंदखुरी में पदस्थ थे। उन्होंने अपने सफल नेतृत्व में सभी जिलों में अपराध को नियंत्रण किया। इसके पहले भी कई जिलों में बेहतर कार्य कर चुके हैं।

माल धक्का के पास शराब बेचते एक पकड़ाया

भाटापारा (नव प्रदेश)। माल धक्का रोड पर शराब बेचते एक युवक को शहर पुलिस ने गिरफ्तार किया है ।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 3.720 बल्क लीटर शराब, बिक्री रकम 300 रु एवं एक्टीवा स्कुटी जप्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की है। उपरोक्त सम्बन्ध में थाना शहर प्रभारी निरीक्षक विजय चौधरी ने बताया की पुलिस अधीक्षक आई.के.एलेसेला के द्वारा अवैध जुआ, सट्टा शराब के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु दिए गए कडे निर्देश के पालन में धर पकड कार्यवाही हेतु स्टाप को निर्देश दिया गया था। मुखबीर की सुचना पर माता देवालय वार्ड के विक्रम उर्फडेन्डी थरानी को अवैध रूप से शराब रख कर माल धक्का के पास बिक्री करते पुलिस ने पकड़ा।जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी के अंदर *04 बोतल रायल स्टेज प्रत्येक में 750 स्र्ब्र भरी तथा 4 पाव रायल चैलेंज प्रत्येक पाव में 180स्र्ब्र भरी एवं 300/रू0 बिक्री रकम तथा स्कूटी एक्टीवा छ्त्त 22 ञ्ज 392* को जप्त कर आरोपी *विक्रम थरानी उर्फ डेन्डी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा के तहत कार्यवाही की गई।

यातायात निरीक्षक प्रमोद सिंह को फिर मिला इन्द्रधनुष पुरूस्कार

नव प्रदेश संवाददाता

भाटापारा। पुलिस अभिरक्षा में हथकड़ी सहित फरार हुए आरोपी को घटना के 24 घंटे के भीतर पुनः गिरफ्तार करने वाले यातायात निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह को सोमवार को छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक डी ?म अवस्थी ने इंद्रधनुष सम्मान से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रमोद कुमार सिंह को लगातार मिलने वाला दूसरा इंद्रधनुष पुरूस्कार है।पुलिस अधीक्षक आई के एलेसेला ने जिले का नाम रोशन करने वाले जिला यातायात प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार को उनकी उपलब्धि पर बधाई और शुभ कामनाये दी है। जिला यातायात निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह को छत्तीसगढ़ पुलिस का महत्वपूर्ण सम्मान इंद्रधनुष पुरूस्कार से नवाजा गया है।सोमवार को रायपुर में हुए इस सम्मान समारोह में उन्हें पुलिस महानिदेशक डी ?म अवस्थी ने सम्मानित किया। प्रमोद कुमार सिंह के साथ उनके वाहन चालक यातायात सिपाही जितेन्द्र राजपूत को भी सम्मानित किया गया है। विदित हो की गत वर्ष 8 जून 2020 को सिटी कोतवाली बलौदा बाजार के दो सिपाही तीन तीन अपराध के आरोपी शिवशंकर उर्फ़ शिवा पिता संतोष यदु को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल दाखिला करने जा रहे थे तभी आरोपी शिवशंकर पुलिस कर्मियो को चकमा देकर हथकड़ी सहित फरार हो गया था। यातायात प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने वरिष्ठ अधिकारीयो का निर्देश मिलने के बाद फरार आरोपी शिवशंकर उर्फ़ शिवा को अपनी सूझबूझ और हिम्मत से अपने वाहन चालक सिपाही जितेंद्र राजपूत के साथ ना केवल पुनः गिरफ्तार करने में घटना के दूसरे दिन सफलता प्राप्त की बल्कि आरोपी द्वारा पहनी हुई हथकड़ी को झाड़ियो में फेके गए स्थान से आरोपी की निशान देही पर जब्त कर यातायात निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने फरार आरोपी को हथकड़ी सहित सिटी कोतवाली पुलिस को सौप दिया था।

विधायक ने तरेंगा में किया विकास कार्यो का लोकार्पण

नव प्रदेश संवाददाता

भाटापारा। भाटापारा विकासखण्ड के ग्राम तरेंगा में विभिन्न विकास कार्यो का कौशल उन्नयन केंद्र एवं कंकालीन मंदिर सामुदायिक भवन कार्य..का लोकार्पण और सी.सी.रोड निर्माण एवं घोघियापारा रंगमंच छत निर्माण कार्य.का भूमिपूजन विधायक शिवरतन शर्मा ने किया।

विधायक शिवरतन शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तरेंगा का दौरा कर ग्रामवासियों से मिल कर उनका हाल जाना. साथ ही ग्राम में लाखों रुपये के विकासकार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण भी किया. कार्यक्रम में जिला भाजपा मंत्री महाबल बघेल,जिला किसान मोर्चा उपाध्यक्ष परस देवांगन, जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष सतीश सोनी सहित सैकड़ों ग्राणीम भी मौजूद रहे. विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि गांव का विकास उनकी प्राथमिकता है. इसलिए गांव में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ें विकास कार्य स्वीकृत करवाये जा रहे हैं. ग्रामीणों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पहुंच मार्ग, समुदायिक भवन, मंच निर्माण, अहाता और अन्य निर्माण कार्यों को स्वीकृति उनके प्रयास से लगातार करवाये जा रहे है.जिससे क्षेत्र के ग्रामवासियों को इसका लाभ मिल सके.. उक्त अवसर पर जिला पंचायत सभापति कविता कमलेश देवांगन, देवकी बाई सोनी, सरपंच कांति आडिल, उपसरपंच दसरथ आडिल, गोदावरी फागु ध्रुव, डिगेश्वर साहू,दिलीप चक्रधारी, धनेश साहू, आदि उपस्थित रहे।

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

कवर्धा (नव प्रदेश)। पुलिस अधीक्षक कबीरधाम शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री ऋचा मिश्रा तथा अनुविभागीय अधिकारी पंडरिया श्री एन.के.बेंताल, उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्री बी.आर. मंडावी के दिशा निर्देश पर थाना पांडातराई में दर्ज अपराधों का निराकरण जल्द से जल्द कर आरोपियों के विरुद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 40/2021 धारा 376 (2)ढ भादवि 3 (2) एस.टी.,एस.सी एक्ट के आरोपी को पकड़ने में पुलिस टीम को सफलता मिला है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये थाना प्रभारी पांडातराई निरीक्षक श्री सुशील मलिक के द्वारा वरिष्ठ अधिकारी गणों से दिशा-निर्देश प्राप्त कर पुनः नए सिरे से आरोपी के पता तलाशी की गई। हेतु टीम गठित कर अलग-अलग स्थानों में रवाना किया गया, तथा मुखबिरो से लगातार चर्चा कर आरोपी के विषय में जानकारी प्राप्त कर आरोपी को जिला शामली उत्तरप्रदेश में होने की सूचना पर तत्काल विशेष टीम को उक्त आरोपी के तलाश हेतू रवाना किया गया। जिस पर पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई और दिनांक 28/06/2021 को जिला शामली से आरोपी अंकित कुमार कोरी पिता मुकेश कुमार कोरी उम्र 21 साल निवासी हथथोया थाना झिनझान तहसील ऊन जिला शामली उत्तर प्रदेश को पकड़कर जिला कबीरधाम लाकर विधिवत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया, तथा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर ज्यूडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना पांडातराई प्रभारी निरीक्षक श्री सुशील मलिक के कुशल नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक सुखलाल सिंह धुर्वे, सहायक उपनिरीक्षक चंद्रकांत तिवारी, प्रधान आरक्षक बुधमल धुव्र, आरक्षक वसीम अली, रामझुल धुर्वे का सराहनीय योगदान रहा।

स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण और सेवाभाव के लिए हम सदैव ऋणी रहेंगे: भावना बोहरा

नव प्रदेश संवाददाता

कवर्धा। जिले में कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में दिन-रात अपनी जान की परवाह न करते हुए जनमानस की सेवा के लिए समर्पित स्वास्थ्यकर्मियों के सेवा व समर्पण के लिए उन्हें कोरोना योद्धा सेवा सम्मान से आज सम्मानित किया गया.कवर्धा जिला चिकित्सालय और कोविड सेंटर में सेवारत चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य अस्पताल व स्वास्थ्यकर्मियों को आज भाजपा महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश मंत्री और कबीरधाम जिला पंचायत की सभापति भावना बोहरा एवं महिला मोर्चा की बहनों ने उन्हें कोरोना योद्धा सेवा सम्मान से सम्मानित किया। भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा महिला मोर्चा की बहनों के साथ भावना बोहरा ने आज कवर्धा जिला चिकित्सालय और कोविड सेंटर में सेवारत 150 से अधिक चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफएवं अस्पताल स्टाफ एवं अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। विगत वर्ष भी कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी सेवा देने वाले जिले के 65 ग्रामों के लगभग

के कर्मचारियों को सम्मानित कर उनके सेवाभाव व कोरोना संक्रमण के दौरान किये गए अतुलनीय कार्य के लिए आभार प्रकट किया. भावना बोहरा ने बताया कि 12 जून से 30 जून तक कबीरधाम जिले व आस-पास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लगभग 1000 चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल 1000 से अधिक कोरोना योद्धाओं को भावना बोहरा द्वारा सम्मानित किया था. भाजपा महिला मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालीनी राजपूत जी के कुशल नेतृत्व एवं निर्देशन में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कोरोना योद्धा सेवा सम्मान की मुहीम सुचारू रूप से संचालित हो रही है।

CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED
(A Government of Chhattisgarh undertaking) (A Successor company of CSEB)
CIN UF0A08CTT2003SGC015822
Office of the Chief Engineer (O&M), CSPDCL, Raipur Email ID: ceomm.raipur@cseb.gov.in

No. 02-01/Gen/Veh./NIT/TR-04/1127 Raipur, dtd. 30.06.2021

NOTICE INVITING TENDER

CSPDCL invites sealed offers from eligible contractor for Vehicle in the office of C.E. (O&M) CSPDCL, Danganiya, Raipur against tender specification No. TR- 04 The estimated value of tender is Rs. 11,94,000/- (Rs. Eleven Lac Ninety Four Thousand) only. The last date for submission of tender is 22.07.2021 up to 15.00 hrs. Tender will be opened on same day at 15.30 hrs. Tender document can be purchased from the office of C.E. (O&M) CSPDCL, Danganiya, Raipur up to 19.07.2021 by 5.00 PM.

The tender document can be obtained from the office of C.E. (O&M), CSPDCL, Danganiya, Raipur during working hours on payment of tender cost Rs. 200+24(GST)=224/- (Non refundable) through MICR demand draft drawn in favour of Asstt. Manager (CAU) CSPDCL, Raipur. Postal charges of Rs. 100/- extra shall be paid, if tender document purchased through post.

Important:- Please note that any notice for corrigendum or extension of due date of tender opening shall not be published in news papers it will be displayed only on website of the company. S.-29204/2

-Sd-
Chief Engineer (O&M)
CSPDCL, Raipur

//Save Electricity//

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं ABDUL AZIZ BAILIM S/O ABDUL SATTAR निवासी H NO 151 BADI MASJID GALI DHAMTARI (C.G.) यह शपथ करता हूं कि मैंने अपना वह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम ABDUL AZIZ S/O ABDUL SATTAR रख लिया हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम ABDUL AZIZ S/O ABDUL SATTAR से ही जाना पहचाना जावे।

ABDUL AZIZ
H NO 151 BADI MASJID GALI
DHAMTARI (C.G.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं KUM RAKHEE BHASIN W/O MANISH KUMAR SONI निवासी H. NO.-78/B, STREET-12, SMRITI NAGAR, BHILAI, DISTT.-DURG (C.G.) 490020 यह शपथ करती हूं कि मैंने अपना यह पुराना नाम को त्याग कर नया नाम PARAKH SONI W/O MANISH KUMAR SONI रख ली हूं। अतः आज से मुझे समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावेजों में मेरे नये नाम PARAKH SONI W/O MANISH KUMAR SONI से ही जाना पहचाना जावे।

PARAKH SONI
HOUSE NO.-78/B,
STREET-12,
SMRITI NAGAR, BHILAI,
DISTT.-DURG (C.G.) 490020

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक 202106101000181

विषय-अ-27 मामले की श्रेणी- राजस्व सन् 2020-21
कोहका प.ह.नं. 00019 (हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - चेतनलाल देशमुख
अनावेदक पक्षकार - द्वारिका (अन्य 04)

ईश्तहार

आवेदक चेतनलाल देशमुख पिता स्व. नीलकंठ देशमुख निवासी- पुरानी बस्ती कोहका भिलाई तहसील व जिला दुर्ग, ग्राम कोहका प.ह.नं. 19 स्थित भूमिस्वामी हक की भूमि खसरा नं. 4558 रकबा 0.06 हे. भूमि द्वारिका पिता स्व. श्यामलाल देशमुख अन्य 05 केनाम पर सामिलात खाते में दर्ज है उपरोत्त वर्णित भूमि को आवेदक एवं अनावेदक गण पूर्व में आपसी सहमति के आधार पर बटवारा कर अपने अपने हिस्से में काबिज हैं उक्त भूमि का पटवारी फर्द रिपोर्ट अनुसार खाता विभाजन किए जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 19/07/2021 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते हैं। समयावधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से आज दिनांक 25.6.2021 को जारी किया जाता हैं।

सील
अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग

उद्घोषणा

पंजी. नं. 202106100400371

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनीष कुमार ठाकुर आ. सच्चिदानंद ठाकुर निवासी- सेक्टर 01 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.नं. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नं. 755/9 रकबा 0.020 हे./2100 वर्गफीट आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत पुर्ननिर्धारण बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/ आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 22/6/2021 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

सील
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग, जिला दुर्ग

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
सम्पदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-3, सड्डू, रायपुर (छ.ग.)
कामर्शियल काम्पलेक्स, सेक्टर-8 द्वितीय तल, सड्डू, रायपुर
Email ID emzoneii@yahoo.com GST No.22AAECA978302ZP

//आम सूचना//

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल आवास योजनांतर्गत धनसुली रायपुर में स्थित एलआईजी भवन क्रमांक-290 श्री मनोज शर्मा पिता श्री वाय.पी. शर्मा एवं श्रीमती अनिता शर्मा पति श्री मनोज शर्मा को आफर/ स्ववित्तीय/भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित किया गया था। उनके द्वारा दिनांक 07.10.2009 को अपने नाम पर सेलडीड/ लीजडीड पंजीकृत कराने के उपरांत वर्तमान में श्री राजीव रंजन वर्मा पिता श्री अनिल प्रसाद वर्मा निवासी-कोटा कालोनी रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ.ग.) को विक्रय करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त भवन के विक्रय के संबंध में किसी व्यक्ति शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-3, सड्डू, रायपुर

कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
(जिला निर्माण समिति)
:: मैनुअल पद्धति निविदा सूचना ::

निविदा विज्ञप्ति क्र. 01/जि.नि.स./लो.नि.वि./21-22 दन्तेवाड़ा, दिनांक 18/06/2021

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (प्रत्येक कार्य हेतु)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
1	2	3	4
1.	पुलिया निर्माण कार्य (समलूर मार्ग से 03 स्पान x 08 मीटर) (01 नग पुलिया)	66.95	05/07/2021

2. उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

जी-61709/5
कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

न्यायालय तहसीलदार आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. ब/121
ग्राम कुरूद

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पंचराम पिता श्री पल्टूराम ग्राम कुरूद के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि अपने दादा बीराम मृत्यु दिनांक 20/03/1982 है का पंजीयन कराने हेतु पंजीयक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग किया है, ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदक को प्राप्त हो सके।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को दावा/ आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 15/07/2021 तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 29/06/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
आरंग

न्यायालय तहसीलदार आरंग, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. ब/121
ग्राम कुरूद (कु)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक पंचराम पिता श्री पल्टूराम ग्राम कुरूद (कु) के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि अपने पिता पल्टूराम मृत्यु दिनांक 10/02/1974 है का पंजीयन कराने हेतु पंजीयक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की मांग किया है, ताकि मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदक को प्राप्त हो सके।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को दावा/ आपत्ति हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 15/07/2021 तक आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 29/06/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
आरंग

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. अ/74/ 2020-21

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती ममता जंघेल ध.प. संतोष कुमार जंघेल साकिन सांई नगर चिखली द्वारा अपने पति संतोष कुमार जंघेल जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय भारतीय आयुध निर्माणया आयुध उपस्कर निर्माणी फुलबाग कानपुर में आई.ओ.एफ.एस. संयुक्त महाप्रबंधक के पद पर कार्यरता था की मृत्यु दिनांक 13.11.2020 को हो जाने के कारण आश्रिता प्रमाण पत्र प्रदाय किए जाने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त अनुसार आवेदक को आश्रिता प्रमाण पत्र प्रदाय किए जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई दिनांक 12.07.2021 को या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23.6.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

सील
अतिरिक्त तहसीलदार
दुर्ग

आम सूचना

सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरा पक्षकार- अजीत शर्मा (नया नाम) आ. बैकुंठ शर्मा, निवासी प्लाट नं. 183/1, सड़क नं. 01, प्रगति नगर रिसाली, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.) का है, मेरे पक्षकार का नाम पूर्व में अजीत कुमार आ. बैकुंठ शर्मा था जो कि समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है। मेरे पक्षकार के आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं ड्रायविंग लायसेंस में अजीत शर्मा आ. बैकुंठ शर्मा दर्ज है। अजीत कुमार एवं अजीत शर्मा उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति हैं अर्थात मेरे पक्षकार का नया नाम अजीत शर्मा है। भविष्य में मेरे पक्षकार अपने समस्त शासकीय, अर्धशासकीय/ अशासकीय दस्तावेजों एवं अभिलेख में अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम अजीत शर्मा आ. बैकुंठ शर्मा दर्ज करवाना चाहता है। जिसके संबंध में दिनांक 26/06/2021 को श्रीमान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट दुर्ग छ.ग. के समक्ष एक शपथ पत्र भी निष्पादित करवा चुका है तथा छग. गजट प्रकाशन में भी नाम सुधार हेतु प्रकाशन करवाना चाहता है। भविष्य में मेरे पक्षकार को अजीत शर्मा आ. बैकुंठ शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा, समझा व संबोधित किया जावे।

अतः यह आम सूचना मेरे पक्षकार के निर्देश पर मेरे द्वारा जारी किया गया।

दिनांक 29/6/2021
भवदीय
जगदीश सिंह
जिला न्यायालय दुर्ग (छ.ग.)
मो.नं. 90097-79292

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग में उपस्थित होने बाबत व्यक्तिगत सूचना

मामला क्रमांक/24 अ 4/ 2018-19

प्रति,
श्री अमृतलाल आ. कंवरलाल
साकिन-केम्प-2 भिलाई तह. व जिला दुर्ग

विषय :- क्रय/विक्रय शुदा भूमि का नामांतरण बाबत्।

आपको सूचित किया जाता है कि ग्राम बघेरा प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. दुर्ग तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 145/1 का भाग का रकबा 2552 हे. भू.रा. भूमि को पंजीकृत विक्रय दिनांक 30/3/2016 के द्वारा आवेदक के पास विक्रय किया गया है।

आवेदक क्रेता कांताबाई कानेकर पति विट्ठल राव कानेकर निवासी शंकर नगर दुर्ग के द्वारा उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 30/01/2019 को नियत है अतः आप नियत सुनवाई दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति/दावा पेश कर सकते हैं। बाद में आपत्ति आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 08/01/2019 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया गया है।

सील
नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जगदलपुर वृत्त के अंतर्गत दन्तेवाड़ा काष्ठागार में नीचे दर्शाए अनुसार ईमारती नए/ पुराने काष्ठ का नीलाम किया जावेगा।

1. नीलाम दिनांक - 02.07.2021
2. नीलाम स्थल का नाम - काष्ठागार दन्तेवाड़ा (आंवराभाठा)
3. डिपो का नाम जहां वनोपज रखी गई है - दन्तेवाड़ा आंवराभाठा दन्तेवाड़ा
4. नीलाम समय - 10.00 बजे पूर्वान्ह से

प्रजाति	नयी काष्ठ			पुरानी काष्ठ		
	नग	घ.मी.	बल्ली/डेंगरी	नग	घ.मी.	बल्ली/डेंगरी
सागौन	403	54.003	14/15	64	5.729	27/16
साल	614	177.857	0	768	165.742	0/0
बीजा	38	5.901	1	134	12.742	0/5
साजा	3	0.563	0	4	0.409	0/0
सीवना	9	0.765	1/2	0	0.000	0/0
अन्य	0	0	0	32	10.039	29/0
मुलायम काष्ठ	0	0	0	9	3.293	0/0
नीलगिरी	0	0	0	226	15.249	20/40
सागौन चिरान	0	0	0	22	1.033	0
साल चिरान	0	0	0	2	0.489	0
हल्दू चिरान	0	0	0	8	0.400	0
योग :-	**1067**	**239.089**	**16/53**	**1269**	**215.227**	**76/61**

इच्छुक व्यापारी नीलाम में भाग लेने के पूर्व नीलाम शर्तें एवं विस्तृत जानकारियां अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालयीन दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। कृपया बोली लगाने के पूर्व नीलाम में रखी गई नए /पुराने ईमारती काष्ठ का श्रेणी को भली भांति देख लेवें। वर्ष 2021 का व्यापार पंजीयन प्रमाण पत्र एवं फर्म का पेन नंबर/ जी.एस.टी. नंबर की प्रति नीलाम के दिन सत्यंकार राशि का भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बड़ौदा बैंक, देना बैंक, एक्सिस बैंक, सेंट्रल बैंक चेक के साथ अनिवार्य रूप से सत्यंकार कक्ष में प्रस्तुत करना होगा।

नीलाम में बोली लगाने के पूर्व सत्यंकार राशि जो एक हजार से कम नहीं होगी सत्यंकार अधिकारी के पास जमा करना अनिवार्य है।

जी-61674/5
वनमण्डलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल, दन्तेवाड़ा

खेती-बारी के आ गे बेरा, चलव करबो

'रोका-छेका'

रोका-छेका छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है।। जिसके माध्यम से ग्रामीण जन फसलों की सुरक्षा करते रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने परंपरागत लेकिन लुप्तप्राय "रोका-छेका" प्रथा को पुनः पूरी गंभीरता से अमल में लाया है। गौठान रोका-छेका के दौरान पशुधन का मुख्य आश्रय-स्थल बनेंगे।

- रोका-छेका अभियान की शुरुआत **1 जुलाई 2021** से
- फसलों और पशुधन की होगी सुरक्षा
- गांवों में निर्मित गौठान बने रहेंगे क्रियाशील
- गौठानों में गोबर की बढ़ेगी उपलब्धता
- वर्मी और सुपर कम्पोस्ट का बढ़ेगा उत्पादन
- ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों को नगद लाभ
- स्वसहायता समूहों को रोजगार और अधिक आय

गौठान निर्माण एवं गतिविधियां

- सुराजी ग्राम योजना में 10,057 गौठान निर्माण की मंजूरी
- 5820 गौठान बने बहुआयामी आर्थिक - सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र
- 20 फीसदी गौठान पूरी तरह आत्मनिर्भर

गोधन न्याय योजना

- 1.70 लाख पशुपालकों को गोबर खरीदी के 96.64 लाख तथा गौठान समितियों व स्वसहायता समूहों को 17.55 करोड़ रुपए का लाभांश , कुल 114.19 करोड़ रु. भुगतान
- गौठानों में 5 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन
- गौठानों में उत्पादित 11 करोड़ रुपए का वर्मी कम्पोस्ट विक्रय के लिए उपलब्ध

आवव जम्मो झन जुर-मिलके गांव-गांव म
'रोका-छेका' ला सफल बनाबो,
खेती-किसानी ला अब्बड़ लाभदायक बनाबो,
पशुधन के सुरक्षा ले ओकर जिनगी बढ़ाबो,
गोबर ला गोधन बनाए के लक्ष्य पूरा करबो।

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़

भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

सेवा-जतन-सरोकार : छत्तीसगढ़ सरकार